

राजकोषीय घटनाक्रम तथा लोक वित्त

3


अध्याय

चालू वर्ष के पहले नौ महीनों में राजकोषीय परिणाम मोटे तौर पर बजट द्वारा प्रशस्त समेकित पथ पर ही बना रहा। स्मरणीय है कि आर्थिक वसूली के स्पष्ट साक्ष्य मिलने की स्थिति में ही उत्प्रेरक साधनों की आंशिक वापसी के साथ बजट 2010-11 में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नीतिगत आग्रह अभी भी लघु आवधिक रूप से संकट-पूर्ण स्तरों तक पहुंचने में विकास दर की मदद करना तथा दीर्घ आविधक तौर पर इसकी निरन्तरता सम्बन्धी चिन्ताओं का निराकरण करना था। चालू राजकोषीय वर्ष में विकास दर के संकट-पूर्व स्थिति पर पहुंचने के साथ ही राजस्व बढ़ा और दूर संचार 3जी/बीडब्ल्यूए नीलामियों के कारण गैर-कर राजस्व वसूलियां बजट अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकीं। इसके चलते निर्दिष्ट राजकोषीय घाटा लक्ष्यों पर उच्चस्तरीय व्यय की गुंजाइश संभव हो सकी। राज्य सरकारों का मिश्रित घाटा भी राज्य स्तर की समग्र समेकन की प्रक्रिया को दर्शाता है। विकास दर को बहाल रखते हुए समेकन प्रक्रिया की निरन्तरता और उसकी गहनता के आधार अक्षुण्ण बने रहे।

3.2 राष्ट्रीय आय समेकनों के मांग पक्ष को नियंत्रित करते हुए ग्लोबल वित्तीय तथा आर्थिक संकटों के वृहद आर्थिक प्रभावों तथा प्रसरणशील राजकोषीय असर को बे असर किया गया। वर्ष 2009-10 में सकल पूंजी निर्माण तथा निजी अंतिम अपभोग व्यय (पीएफसीई) की विकास दर में स्पष्ट रूप से संकुचन देखा गया जो कि वर्ष 2008-09 में क्रमशः 58.4 तथा 35.4 प्रतिशत रही थी। सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण घटक, निवल अप्रत्यक्ष कर ऋणात्मक सब्सिडियां भी गिरावट पर रहीं। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) (चित्र 3.1) को बढ़ाकर ही विकास प्वाइंट अंशदान के निचले स्तरों की प्रतिपूर्ति

एक सीमा तक की जा सकी है। वर्ष 2008-09 के उत्तरार्ध में जैसे ही संकटों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा, सकल घरेलू उत्पाद की मांग पक्ष के तिमाही अनुमानों में हलचलों से वसूली प्रक्रिया के बेहतर आधार नजर आने लगे और इस प्रकार बजट 2010-11 में वर्ष 2009-10 की दूसरी तिमाही के परिणामों की संघातिक शक्ति पर उद्धीपक उपायों से आंशिक निकासी पर विचार किया गया है। यह प्रतिक्रिया मोटे तौर पर इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुपालित प्रक्रियाओं, जिसमें संकट के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों से निबटने में राजकोषीय नीतिगत साधनों को तरजीह दी गई है, पर निर्भर करती है।

चित्र 3.1 वर्तमान बाजार मूल्यों पर सघट में बिन्दु अंशदान



3.3 सकल घरेलू उत्पाद (क्रय शक्ति साम्यता) के अनुपात के रूप में आईएमएफ (राजकोषीय मॉनीटर-2010) द्वारा विश्व का समग्र राजकोषीय संतुलन वर्ष 2007 में (-) 0.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008 तथा 2009 में क्रमशः (-) (2.0) तथा (-) 6.8 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है। वर्ष 2010 में इसके बढ़कर (-) 6.0 प्रतिशत तथा 2011 में इसके (-) 4.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। प्रमुख सामूहिक स्तर पर राजकोषीय विस्तार के अधिकांश भाग के लिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं को कारण माना गया है। उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में भारत विशालतम राजकोषीय विस्तार वाला एक देश था जहां वर्ष 2009 और 2010 प्रत्येक में जीडीपी का 10 प्रतिशत राजकोषीय विस्तार रहा है। संभावित जीडीपी का 10 प्रतिशत राजकोषीय विस्तार रहा है। संभावित जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में देखें तो भी भारत की स्थिति में यह विस्तार वर्ष 2009 में काफी व्यापक था। वर्ष 2010 में इसके घटकर (-) 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। आगे चलकर राजकोषीय मॉनीटर यह दर्शाता है कि आमतौर पर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय समायोजन, जो कि वर्ष 2010 में आर्थिक वसूली द्वारा उत्प्रेरित था, अब वर्ष 2011 में वह विवेक सम्मत नीतियों द्वारा उत्प्रेरित होगा। अर्थात् विकास को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि विस्तार का विवेक सम्मत प्रेरक तत्व यही है कि अनुमान लघुतम किए जाएं।

3.4 वास्तविक संदर्भ में देखें, बजट 2010-11 को 3,81,408 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे तथा ₹ 2,76,512 करोड़ के राजस्व घाटे के स्तर पर अनुमानित किया गया है। बजट 2010-11को प्रस्तुत करते समय यह माना गया कि सांकेतिक जीडीपी (चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद) बढ़कर 12.5 प्रतिशत होगी तथा इसका अनुमान ₹ 69,34,700 करोड़ किया गया है। सांकेतिक जीडीपी के अनुपात के तौर पर राजकोषीय तथा राजस्व घाटों का अनुमान क्रमशः 5.5 तथा 4.0 प्रतिशत लगाया गया है। 7 फरवरी, 2011 में सीएसओ द्वारा अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2010-11 की सांकेतिक जीडीपी ₹ 78,77,947 आकलित की गई है जो कि 20.3

प्रतिशत वार्षिक वृद्धि रखती है तथा बजट निर्माण के समय विद्यमान बिंदुओं से 7.8 प्रतिशत अधिक है। अग्रिम अनुमान के अनुसार जीडीपी के अनुपात के रूप में बजटित राजकोषीय और राजस्व घाटा चालू राजकोषीय वर्ष में क्रमशः 4.8 तथा 3.5 प्रतिशत आकलित किया गया है। इस प्रकार जीडीपी के अनुपात के रूप में घाटा संकेतकों में मौजूद अद्यतन रूझान, संकटोत्तर ने प्रभावित किया है तथा इन्हें एक सीमा तक समेकित मांग के स्तरों के समायोजन के द्वारा दूर किया जाएगा। (सारणी 3.1 चित्र 3.2)

सारणी 3.1 : केन्द्र सरकार के घाटे की प्रवृत्तियां


वर्ष	राजस्व राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा
(सघड के प्रतिशत के रूप में)				
एफ आर बी एम का अधिनियम				
2003-04	3.6	4.5	0.0	79.7
2004-05	2.4	3.9	0.0	62.3
2005-06	2.5	4.0	0.4	63.0
2006-07	1.9	3.3	-0.2	56.3
2007-08	1.1	2.5	-0.9	41.4
2008-09	4.5	6.0	2.6	75.2
2009-10(अनंतिम)	5.1	6.3	3.1	80.7
2010-11(ब.अ.)	3.5	4.8	1.7	72.5

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज

ब.अ. : बजट अनुमान

एफआरबीएम : राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम टिप्पणियां : चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रति अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित है।

चित्र 3.2 केन्द्र सरकार के घाटे की प्रवृत्तियां



केन्द्र सरकार की वित्त व्यवस्था

3.5 जुलाई 2004 से राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफआरबीएम) नियम 2004 की अधिसूचना के बाद त्वरित राजकोषीय समेकन की प्रमुख उत्प्रेरक शक्ति कर राजस्वों में अधिकता रही है। जीडीपी के अनुपात के रूप में देखें तो सकल कर राजस्व जो कि वर्ष 2003-04 में 9.2 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2007-08 में 11.9 प्रतिशत की उच्च अवस्था तक जा पहुंचा है। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में क्रमशः 10.8 तथा 9.6 प्रतिशत गिरने के बाद अब वर्ष 2010-11 में इसके बढ़कर 9.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। करों के संघटन के संदर्भ में पिछले दिनों जो दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे गए हैं, वह प्रत्यक्ष कर राजस्वों, विशेषकर निगम आयकर तथा सेवा कर राजस्वों में इजाफा होना है। संघीय उत्पाद शुल्क जो कि वर्ष 2006-07 में पारम्परिक तौर पर अधिकतम राजस्व अर्जक साधन रहा है अब यह स्थान निगम आयकर ने ले लिया है। वर्ष 2009-10 में राजकोषीय उत्प्रेरण पैकेज जिसमें शुल्कों में महत्वपूर्ण कमी तथा मांग घटाने का लक्ष्य तय किया गया था, के कारण संघीय उत्पाद शुल्कों में पर्याप्त रूप से गिरावट आई थी। वर्ष 2010-11 में दरों में आंशिक बहाली होने तथा मांग में वृद्धि होने के साथ ही संघीय उत्पाद शुल्क अत्यधिक रूप से अच्छा रहा। चालू वर्ष में निगम आयकर में उच्च वृद्धि बहाल रहने तथा व्यक्तिगत आयकर में बजटित परिणाम से अधिक वृद्धि होने के कारण राजस्व निर्णीत मध्यम आवधिक समेकन की संभावनाएं पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर रहीं।

3.6 ऐसे में जबकि एफआरबीएम-पश्च अवधि (2004-05 से 2007-08) में राजस्वों ने राजकोषीय समेकन को ज्यादा गहन और प्रभावी बनाने में मुख्य प्रेरक की भूमिका अदा की है। इस दौर में जीडीपी व्यय में भी कुछ संपीड़न (सारणी 3.2 तथा चित्र 3.3) देखा गया। चार वर्षों की अवधि में व्यय में औसत वार्षिक वृद्धि 11.2 प्रतिशत थी; जो कि सांकेतिक जीडीपी पर 16 प्रतिशत के स्तर पर हुई वृद्धि से अपेक्षाकृत कमतर थी। इसके अलावा, व्यय में महत्वपूर्ण सुधारात्मक पहल की गई। पहले कम


वसूली कर रही पेट्रोलियम तेल कम्पनियों के वित्त पोषण के लिए जारी किए गए बांडों को (ऐसे अन्य सभी बांडों की तरह) रोक दिया गया तथा ऐसे सभी बांडों को नकद व्यय के तौर पर प्राप्त परिदान-सहायता के रूप में दर्ज करके, बजट के दायरे में ले लिया गया। दूसरा उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी नीति तैयार की गई। तीसरे-अन्तर्राष्ट्रीय क्रूड पेट्रोलियम के बढ़े हुए स्तर का मूल्य देकर, यह प्रस्ताव किया गया कि घरेलू पेट्रोलियम उत्पादों का प्रशासित मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से ही अंशशोधित होगा।

वर्ष 2010-11 में बजटीय घटनाक्रम

3.7 वर्ष 2009-10 में अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार तथा खाद्य मुद्रास्फीति के उच्च स्तर तथा तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में, आर्थिक प्रगति को अधिक व्यापक आधार देने और यह सुनिश्चित करने कि आपूर्ति-मांग के असंतुलन को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाए, वर्ष 2010-11 के बजट से पुनः राजकोषीय सुदृढीकरण की दिशा में बढ़ना प्रारम्भ किया गया। 2010-11 का बजट तेरहवें वित्त आयोग की कुल सरकारी ऋण से स.घ.उ. का अनुपात 2014-15 तक 68 प्रतिशत तक सीमित करने के तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसरण में प्रस्तुत किया गया और इसमें एक प्रास्थिति पत्र में मुद्दों का विश्लेषण करने का वायदा किया गया। प्रास्थिति पत्र में इस कटौती की कार्य योजना का खुलासा भी किया जाएगा।

3.8 बजट 2010-11 में, यह इंगित किया गया कि लोक-व्यय को सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप लाकर, विशेषकर सब्सिडियों को समुचित रूप से लक्षित करके, लोक व्यय का प्रभावी प्रबंधन राजकोषीय प्रबन्ध का महत्वपूर्ण कारक है। बजट 2010-11 में 1 अप्रैल, 2010 से उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी नीति के कार्यान्वयन की घोषणा भी की गई और इसमें बताया गया कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की एक व्यवहार्य और सुस्थिर प्रणाली संबंधी विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को भी यथासमय कार्यान्वित किया जाएगा।

चित्र 3.3 केन्द्र सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय



सारणी 3.2 : केन्द्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय							
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 (अंतिम)	2010-11 (ब.अ.)
	(करोड़ ₹)						
1 राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	347077	434387	541864	540259	614497	575458	682212
(क) कर राजस्व (राज्यों का हिस्सा घटाकर निवल)	270264	351182	439547	443319	474218	459444	534094
(ख) कर-भिन्न राजस्व	76813	83205	102317	96940	140279	116014	148118
2 राजस्व व्यय	439376	514609	594433	793798	897232	908011	958724
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) ब्याज अदायगियां	132630	150272	171030	192204	225511	211643	248664
(ख) मुख्य सब्सिडी	44480	53495	67498	123581	106004	123396	109092
(ग) रक्षा व्यय	48211	51682	54219	73305	86879	90668	87344
3 राजस्व घाटा (2-1)	92299	80222	52569	253539	282735	332553	276512
4 पूंजीगत प्राप्तियां	158661	149000	170807	343697	406341	443068	426537
जिसमें से निम्नलिखित से हुई प्राप्तियां							
(क) ऋणों की वसूली*	10645	5893	5100	6139	4225	6204	5129
(ख) अन्य प्राप्तियां (मुख्यतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निवेश)	1581	534	38795	566	1120	24557	40000
(ग) उधार और अन्य देयताएं**	146435	142573	126912	336992	400996	412307	381408
5 पूंजीगत व्यय	66362	68778	118238	90158	123606	110515	150025
6 कुल व्यय [2+5=6(क)+6(ख)]	505738	583387	712671	883956	1020838	1018526	1108749
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) आयोजनागत व्यय	140638	169860	205082	275235	325149	302199	373092
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	365100	413527	507589	608721	695689	716327	735657
7 राजकोषीय घाटा [6-1-4(क)-4(ख)]	146435	142573	126912	336992	400996	412307	381408
8 प्राथमिक घाटा [7-2(क)]	13805	-7699	-44118	144788	175485	200664	132744
	(As per cent of GDP)						
1 राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	9.4	10.1	10.9	9.7	10.5	8.8	8.7
(क) कर राजस्व (राज्यों का हिस्सा घटाकर निवल)	7.3	8.2	8.8	7.9	8.1	7.0	6.8
(ख) कर-भिन्न राजस्व	2.1	1.9	2.1	1.7	2.4	1.8	1.9
2 राजस्व व्यय	11.9	12.0	11.9	14.2	15.3	13.9	12.2
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) ब्याज अदायगियां	3.6	3.5	3.4	3.4	3.9	3.2	3.2
(ख) मुख्य सब्सिडी	1.2	1.2	1.4	2.2	1.8	1.9	1.4
(ग) रक्षा व्यय	1.3	1.2	1.1	1.3	1.5	1.4	1.1
3 राजस्व घाटा (2-1)	2.5	1.9	1.1	4.5	4.8	5.1	3.5
4 पूंजीगत प्राप्तियां	4.3	3.5	3.4	6.2	6.9	6.8	5.4
जिसमें से निम्नलिखित से हुई प्राप्तियां							
(क) ऋणों की वसूली*	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
(ख) अन्य प्राप्तियां (मुख्यतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निवेश)	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.4	0.5
(ग) उधार और अन्य देयताएं \$	4.0	3.3	2.5	6.0	6.8	6.3	4.8
5 पूंजीगत व्यय	1.8	1.6	2.4	1.6	2.1	1.7	1.9
6 कुल व्यय [2+5=6(क)+6(ख)]	13.7	13.6	14.3	15.8	17.4	15.5	14.1
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) आयोजनागत व्यय	3.8	4.0	4.1	4.9	5.6	4.6	4.7
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	9.9	9.6	10.2	10.9	11.9	10.9	9.3
7 राजकोषीय घाटा [6-1-4(क)-4(ख)]	4.0	3.3	2.5	6.0	6.8	6.3	4.8
8 प्राथमिक घाटा [7-2(क)]	0.4	-0.2	-0.9	2.6	3.0	3.1	1.7
ज्ञापन मदें	(करोड़ ₹)						
(क) ब्याज प्राप्तियां	22032	22524	21060	20717	19174	22018	19253
(ख) आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	327518	372191	420861	559024	618834	654188	643599

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज।

ब.अ. : बजट अनुमान अंततः अंतिम वास्तविक (अलेखापरीक्षित)

* वर्ष 2008-09 के लिए अंतिम वास्तविक आंकड़ों पर आधारित।

** इसमें बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित प्राप्तियां शामिल नहीं हैं जो केन्द्र सरकार के नकद शेष में रहेंगी और व्यय के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी।

टिप्पणी 1 चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का अनुपात सीएसओ के राष्ट्रीय लेखों की 2004-05 श्रृंखला पर आधारित है।

2 पूर्णांकन किए जाने/मोटे अनुमानों के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएँ।

राजस्व और पूंजी प्राप्तियां

3.9 उत्पाद शुल्क कटौतियों से संबंधित प्रत्यक्ष राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के उस भाग का पूर्ण असर और सकल कर राजस्व पर अप्रत्यक्ष असर 2009-10 में जाकर ही स्पष्ट हो सका। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, सकल कर राजस्व 2008-09 में 10.8 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 9.6 प्रतिशत हो गया; यह स्तर और भी नीचे चले गया होता यदि अधिकृत सघड प्रवृत्ति के स्तरों पर बढ़ा होता। इस प्रकार 2010-11 के बजट में आर्थिक सुधार के गति पकड़ने के चलते उत्पाद शुल्कों की आंशिक रूप से बहाली की गई और इसमें वर्तमान राजकोषीय वर्ष में कर-सघड अनुपात 10.8 प्रतिशत पर बढ़ने की परिकल्पना की गई; इसका निहित अभिप्राय 19.1 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि और ₹ 7,46,651 करोड़ की राशि था। उत्पाद शुल्क स्तरों की, यद्यपि आंशिक रूप से, बहाली के परिणामस्वरूप 2010-11 में 29.4 प्रतिशत के स्तर की तुलना में 26.1 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि का अनुमान था। यह भी अनुमान लगाया गया कि सीमाशुल्क से राजस्व 2010-11 में 36.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेवाकर के 16.3 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 68,000 करोड़ के स्तर पर पहुंचने का अनुमान होने से, अप्रत्यक्ष करों का ₹ 3,15,000 करोड़ होने का अनुमान था, जो 2009-10 की तुलना में 2010-11 में 19.1 प्रतिशत की समग्र वृद्धि इंगित करता है। प्रत्यक्ष करों से समग्र राजस्व 2010-11 में 15.0 प्रतिशत बढ़कर ₹ 4,22,500 करोड़ होने का अनुमान है। अंशतः यह एक तरफ आर्थिक पुनरोत्थान से उत्पन्न होने वाले कुछ सकारात्मक घटनाक्रम तथा विनिर्माण/उद्योग में वृद्धि तथा आयकर सीमाओं का विस्तार करने से उत्पन्न छूटों के उच्चतर स्तरों के कारण था। यह निगम आय कर में 23.2 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि के बजट अनुमानों तथा वैयक्तिक आयकर में 1.4 प्रतिशत की गिरावट में परिलक्षित हुआ। राजस्व के विभिन्न घटकों में वृद्धि के अलग-अलग स्तर, सकल कर राजस्व में उनके सापेक्ष हिस्सों के स्तरों को देखते हुए, करों की संरचना में परिवर्तनों को इंगित करते हैं।

3.10 1991-92 में आर्थिक सुधार प्रक्रिया की शुरुआत में, सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात क्रमशः 22.6 प्रतिशत और 74.8 प्रतिशत था। वृहत्तर आर्थिक सुधारों के भाग के रूप में, आय के स्तरों में वृद्धि के साथ-साथ सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दोनों में शुल्कों की दरों में क्रमिक और व्यवस्थित कटौती करके कर ढांचे में सुधारों के परिणामस्वरूप करों की संरचना में क्रमिक बदलाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप 2004-05 में जब एफआरबीएम व्यवस्था कार्यान्वित की गई—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात सकल कर राजस्व का 56.1

प्रतिशत और 43.3 प्रतिशत था; 2009-10 में यह अनुपात क्रमशः 58.6 प्रतिशत और 39.5 प्रतिशत था (सारणी 3.3 और चित्र 3.4)

प्रत्यक्ष कर

3.11 बजट 2010-11 में भी कराधान के उदार स्तर को बनाए रखने और कराधार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाना जारी रहा। व्यक्तिगत आयकर के तहत कर श्रेणियां व्यापक की गईं तथा निगमित आयकर पर अधिभार को 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया। इसी के साथ कर आधार बढ़ाने तथा निगमों के कराधान में पारस्परिक बराबरी बढ़ाने की दृष्टि से न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया।

3.12 अगस्त 2009 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा प्रत्यक्ष कर संहिता तथा विमर्श पत्र जारी करके सरकार ने एकल विधायन द्वारा मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 तथा सम्पत्ति कर अधिनियम 1957 को समेकित तथा व्यापक रूप से संशोधित करने के अपने इरादे का संकेत दे दिया है। हितधारकों से प्राप्त असंख्य प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के आधार पर जून 2010 में एक संशोधित विमर्श पत्र जारी किया गया था जिसके बाद अगस्त, 2010 को संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 (डीटीसी) प्रस्तुत किया गया। अब इसे 1 अप्रैल, 2012 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

अप्रत्यक्ष कर

3.13 बजट 2010-11 में संकेत दिया गया था कि अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव अर्थव्यवस्था की विकास दर को प्रभावित किए बिना राजकोषीय समेकन का पथ प्रशस्त करने की सामयिक जरूरत और वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत से निर्देशित हैं। तदनुसार बजट में दरों का पुनरुसंश्लेषण और किंचित यौक्तिकीकरण और राहत संबंधी उपाय भी हैं।

3.14 बजट 2010-11 में किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:-

- उत्पाद शुल्क की मानक दर (सेनवैट) - जो कि बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई थी उसे दिसम्बर, 2008 तथा फरवरी, 2009 में दो फीसदी घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया।
- पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़कर प्रति लीटर 8 रुपया हो गया था उसे जून 2008 के स्तरों पर बहाल किया गया।
- कुछ मदों को मिली पूरी अथवा आंशिक उत्पाद शुल्क छूट/रियायतें वापस ले ली गईं तथा उन पर अब 4 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया गया है।

सारणी 3.3 : कर राजस्व के स्रोत							
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
(₹ करोड़)							
प्रत्यक्ष कर (क)	157557	219724	295938	319859	370000	367415	422500
वैयक्तिक आयकर	55985	75093	102644	106046	112850	122280	120566
निगम कर	101277	144318	192911	213395	256725	244630	301331
अप्रत्यक्ष कर (ख)	199348	241538	279031	269433	269477	247357	315000
सीमाशुल्क	65067	86327	104119	99879	98000	84244	115000
उत्पाद शुल्क	111226	117613	123611	108613	106477	104659	132000
सेवा कर	23055	37598	51301	60941	65000	58454	68000
सकल कर राजस्व*	366151	473512	593147	605298	641079	626916	746651
सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व							
प्रत्यक्ष कर (क)	43.0	46.4	49.9	52.8	57.7	58.6	56.6
वैयक्तिक आयकर	15.3	15.9	17.3	17.5	17.6	19.5	16.1
निगम कर	27.7	30.5	32.5	35.3	40.0	39.0	40.4
अप्रत्यक्ष कर (ख)	54.4	51.0	47.0	44.5	42.0	39.5	42.2
सीमाशुल्क	17.8	18.2	17.6	16.5	15.3	13.4	15.4
उत्पाद शुल्क	30.4	24.8	20.8	17.9	16.6	16.7	17.7
सेवा कर	6.3	7.9	8.6	10.1	10.1	9.3	9.1
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व							
प्रत्यक्ष कर (क)	4.3	5.1	5.9	5.7	6.3	5.6	5.4
वैयक्तिक आयकर	1.5	1.7	2.1	1.9	1.9	1.9	1.5
निगम कर	2.7	3.4	3.9	3.8	4.4	3.7	3.8
अप्रत्यक्ष कर (ख)	5.4	5.6	5.6	4.8	4.6	3.8	4.0
सीमाशुल्क	1.8	2.0	2.1	1.8	1.7	1.3	1.5
उत्पाद शुल्क	3.0	2.7	2.5	1.9	1.8	1.6	1.7
सेवा कर	0.6	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	0.9
सकल कर राजस्व*	9.9	11.0	11.9	10.8	10.9	9.6	9.5

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज।


ब.अ. : बजट अनुमान

अ. : अन्तिम वास्तविक आंकड़ें (अलेखापरीक्षित)

* इसमें (क) तथा (ख) में उल्लिखित कर तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कर और "अन्य" कर शामिल हैं।

टिप्पणी : (1) प्रत्यक्ष करों में व्यय संबंधी कर ब्याज, सम्पत्ति, उपहार तथा सम्पदा शुल्क शामिल हैं।

(2) चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।



बॉक्स 3.1 : प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 (डीटीसी)

सभी प्रत्यक्ष करों अर्थात् आयकर, लाभांश वितरण कर तथा सम्पत्ति कर से संबंधित कानूनों को समेकित तथा संशोधित करने की दृष्टि से संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 (डीटीसी) प्रस्तुत किया गया था। इस मुहिम का प्रयोजन देश में आर्थिक रूप से कुशल कारगर तथा साम्यतायुक्त एक ऐसी प्रत्यक्ष कर प्रणाली की स्थापना करना था जो इसके स्वैच्छिक अनुपालन को सुविधाजनक व सुचारू बना सके तथा इस प्रकार कर-डीटीसी अनुपात में पर्याप्त इजाफा कर सके। डीटीसी की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं इस प्रकार हैं:-

- 1.0 इसमें सभी प्रत्यक्ष कर कानूनों को समेकित और समाकलित किया गया है तथा यह एकल विधायन के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 तथा संपत्ति कर अधिनियम, 1957 दोनों को प्रतिस्थापित करता है।
- 1.1 इसने कानून की भाषा को सहज और सरल बनाया है। वाक्यांश में एक उपखंड के जरिए केवल एक बिन्दु को अभिव्यक्त करने वाली इसकी सीधी और सकर्मक भाषा तथा युक्तिसंगत वाक्य संरचना में नए सिरे से व्यवस्थित इसके प्रावधान एक आम आदमी को भी प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के सभी प्रावधानों की सही और सम्यक जानकारी दे सकते हैं।
- 1.2 यह प्रत्यक्ष कर दरों में स्थिरता को इंगित करता है। वर्तमान में, किसी खास वर्ष की कर दरें उस संगत वर्ष के लिए वित्त अधिनियम में अनुबंध के रूप में जोड़ी जाती हैं। इसलिए कर की दरों में कोई तब्दीली प्रस्तावित न होने पर भी वित्त विधेयक को कर की वही दरें दर्शाते हुए पारित किया जाना होता है। जबकि संहिता के तहत करों की सभी प्रस्तावित दरें संहिता की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जानी होती हैं। इसलिए यदि कर दरों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है तो ऐसे में वार्षिक वित्त विधेयक की कोई जरूरत नहीं रह जाती। मौजूदा तौर पर लागू 33.2 प्रतिशत दरों की तुलना में संहिता में 30 प्रतिशत निगम कर का प्रस्ताव किया गया है तथा इसमें छूट सीमा को बढ़ाते हुए व्यक्तिगत आयकर की कर श्रेणियों को ज्यादा व्यापक किया गया है।
- 2.0 इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार के उपबंधों को ज्यादा सुदृढ़ बनाया गया है। वैसे भी वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी यह आवश्यक हो गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार तथा ग्लोबल पूंजी के कराधान के लिए एक सुव्यवस्थित और सुस्थिर कर संरचना तैयार की जाए। नए उपबंधों में यह परिलक्षित होता है। अन्तर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित नए उपबंध इस प्रकार हैं:-
- 2.1 अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार हेतु अग्रिम मूल्य निर्धारण करार:-इससे अंतरित मूल्यन मामलों में एक निश्चिन्ता आएगी क्योंकि कर प्रशासन के साथ कोई भी कर दाता अपने अन्तर्राष्ट्रीय कारोबारों के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस की गणना के तौर तरीकों के संबंध में इस करार में, जो कि पांच वर्षों की अवधि तक विधिमान्य रहेगा, शामिल हो सकता है।
- 2.2 “समग्रतः भारत में नियंत्रित” के बजाए “प्रभावी प्रबंधन का स्थान” की संकल्पना की शुरुआत के साथ भारत की कर संधियों के साथ स्थानिक (कम्पनी कर) अवधारणा का अनुकूलन करना।
- 2.3 विदेशी नियंत्रित कंपनी विनियमन यह वह विशिष्ट प्रावधान है जो किसी स्थानिक शेयरधारक, जो कि उस कंपनी में निचले सेवा क्षेत्राधिकारों के साथ शामिल हुआ हो तथा भारत को आय प्रत्यावर्तित किए बिना ही कंपनी में करहीन आय (जैसाकि ब्याज, लाभांश, पूंजीगत प्राप्ति आदि हैं) संचित कर रहा हो, के हाथों में नियंत्रित किसी विदेशी कंपनी के लाभों के कराधान में सहायक होगा।
- 2.4 विदेशी कंपनियों पर शाखा लाभ कर मौजूदा तौर पर विदेशी कंपनियों से 42.2 प्रतिशत की दर (सभी अधिभार व उपकर शामिल हैं) से टैक्स लिया जाता है। जबकि घरेलू कंपनियों को 33.2 प्रतिशत की दर पर (सभी अधिभार व उपकरों सहित) कर देना होता है। इसके साथ ही जब वे कंपनियां संचित लाभों से लाभांश वितरित करती हैं तो उन्हें 16.6 प्रतिशत की दर पर लाभांश वितरण कर भी अदा करना होता है। यह प्रस्ताव है कि विदेशी कंपनियों की कर दर को 30 प्रतिशत की दर पर विनिर्दिष्ट करते हुए घरेलू कंपनियों के बराबर कर दिया जाए और उनसे 15 प्रतिशत की दर पर ब्रांच लाभकर (लाभांश वितरण कर के स्थान पर) भी वसूल किया जाए। इस कदम से भारत में विदेशी कंपनी की शाखा तथा अनुषंगी कंपनियों के बीच कर तटस्थता कायम हो सकेगी।
- 2.5 सम्पत्ति कर के तहत विदेशों में धारित परिसम्पत्तियों का कराधान प्रस्ताव है कि विदेशी स्थानिकों की विदेशों में धारित कुछ खास परिसंपत्तियों यथा - वैयक्तिक मामलों में बैंक खातों में जमाओं तथा विदेश नियंत्रित कारपोरेशनों अथवा विदेशी न्यासों की स्थिति में ब्याज को शामिल किया जाए। इस कदम से विदेशों में स्थित परिसम्पत्तियों के लिए सूचना दायक मैकेनिज्म तैयार हो सकेगा।
3. लाभ संबद्ध कर प्रोत्साहन को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उसके स्थान पर निवेश-संबद्ध प्रोत्साहन देना - यह देखने में आया है कि लाभ से संबद्ध कटौतियां प्रारम्भ से ही विसंगतियों से भरी हुई हैं, गैर कर मदों से लाभ को छूट प्राप्त मदों में स्थानान्तरित करने अथवा छूट प्राप्त आय मदों में ज्यादा लाभों की सूचना देने के कारण इनके दुरुपयोग की आशंका हमेशा ही रही है तथा इसमें मुकदमेबाजी व राजस्व परित्याग भी अपेक्षता ज्यादा है। ये अन्य करदाताओं में उदार कर संरचना मुहैया कराने के, सरकार के प्रयासों को भी बधित करता है क्योंकि अन्यों के द्वारा उलझाव के साथ दिया गया उच्च कर लाभ से जुड़े कटौती क्षेत्र की निम्न कर दरों की सब्सिडी को पार कर जाता है। आयकर अधिनियम में लाभों से जुड़ी ऐसी कटौतियों को चरणबद्ध रूप से हटाया गया है तथा डीटीसी में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए इन्हें निवेश संबद्ध कटौतियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। निवेश-संबद्ध प्रोत्साहनों को उत्पादक क्षमताओं के सृजन के साथ अंशशोधित किया गया है इस प्रकार से उससे बेहतर उपकरण है। लाभ से संबद्ध कटौतियां जो अभी प्राप्त हो रही हैं, उन्हें डीटीसी की अव्ययित अवधि के लिए संरक्षित किया गया है।
4. बचतों के लिए कर प्रोत्साहनों को व्यक्तिपरक बनाना-वृद्धावस्था, जबकि व्यक्ति कोई काम-काज करने लायक नहीं रहता, के दौरान करदाताओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें दीर्घ आवधिक बचतों हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बचत प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों तथा अन्य पेंशन निधियों में एक लाख रुपए तक की कटौती की अनुमति प्राप्त है।
5. कष्टकारी कर योजना समाप्त करने की दृष्टि से सामान्य परिवर्जन रोधी नियम (जीएएआर)-पिछले दस वर्षों में प्रत्यक्ष कर को उदार बनाया गया है और उसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समानान्तर लाया गया है। सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम ग्लोबल अर्थव्यवस्था के माहौल में कर प्रशासन में कष्टकारी कर संरचना से बचने की दिशा में विशेष रूप से सहायक होगी। जी-20 के कई देशों में इस प्रकार के सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम पहले से ही वहां के कर कानूनों का हिस्सा बने हुए हैं।
6. अ-लाभकारी संगठनों पर कराधान-धर्मार्थ और दातव्य प्रयोजनों के लिए स्थापित अ-लाभकारी संगठनों के बारे में प्रस्ताव है कि परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा दीर्घ आवधिक परियोजनाओं के लिए एक विनिर्दिष्ट अनुपात तक उन्हें संचय करने की अनुमति देने के बाद तथा वर्ष के आखिरी महीने की प्राप्ति को नए सिरे से आगे ले जाने और एक लाख रुपए की प्राथमिक छूट सीमा के बाद उनके अधिशेषों पर उनसे (15 प्रतिशत की दर पर) कर लिया जाए। इन अलाभ-अर्जक संगठनों को दिए गए दान पर भी दानदाताओं के पक्ष में कर कटौती मिलती रहेगी।

- सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है।
- बड़ी कारों, बहु प्रयोज्य वाहनों, तथा स्पोर्टस प्रयोज्य वाहनों आदि पर यथा-मूल्य शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है।
- क्रूड पेट्रोलियम पर शून्य से पांच प्रतिशत, पेट्रोल तथा डीजल पर 2.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तथा अन्य विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों पर 5 प्रतिशत से सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इन शुल्कों को एक बार फिर पूर्व-जून 2008 के स्तरों पर ही बहाल कर दिया है।
- स्वर्ण, चांदी और प्लेटिनम पर सीमाशुल्क 50 प्रतिशत बढ़ गया है जबकि पहले यह विशिष्ट दरों पर लागू था।
- कर आधार को ज्यादा व्यापक बनाने की दृष्टि से आठ नयी सेवाओं को सेवाकर के दायरे में शामिल किया गया है, इसके अतिरिक्त कुछ कर योग्य सेवाओं के क्षेत्र को भी बढ़ाया गया है।

3.15 राजकोषीय रियायत को प्राथमिकता दी गई है। अर्थव्यवस्था के जिन क्षेत्रों में विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। वे हैं:- कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा नवीकरण तथा ऊर्जा संरक्षण तथा अवसंरचना। उद्देश्य है कि कृषि/खाद्य प्रसंस्करण तथा बागवानी/मधुमक्खी पालन/डेयरी/मुर्गीपालन जैसे क्षेत्रों में नव-निवेशों को आकृष्ट किया जाए, जिससे कि (क) बाजार आपूर्ति की चेन के लिए फार्म बनाए जा सकें; (ख) उत्पादों के अपक्षय की रोकथाम की जा सके और (ग) उत्पादन बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की मदद ली जा सके। ऊर्जा क्षेत्र में उद्देश्य पेट्रोलियम तेलों पर निर्भरता को कम से कम करना और इस क्रम में नए तथा अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की खोज में तेजी लाना है। विशेष संदर्भों में कहें तो नीचे लिखी प्रमुख राजकोषीय रियायतें प्रदान की गई हैं:-

- परियोजना निर्यात स्थिति, 5 प्रतिशत मूल सीमाशुल्क की रियायती दर के साथ, मशीनीकृत हैंडलिंग प्रणाली तथा पैलेट रैकिंग प्रणाली हेतु, मंडी तथा भण्डारागारों में खाद्यान्नों तथा चीनी के साथ-साथ अतिरिक्त सीमाशुल्क तथा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना, ऐसी प्रणालियों की स्थापना तथा इनके आरम्भन को सेवा कर से छूट दी गई थी।
- परियोजना आयात स्थिति, में 5 प्रतिशत की प्राथमिक सीमाशुल्क की रियायती दरों के साथ-साथ कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन आदि के प्रसंस्करण के लिए भण्डारण या औद्योगिक इकाइयों के लिए अथवा परिरक्षण हेतु (फार्म कूलरों के साथ) शीतकक्षों, शीत भण्डारणों के पर्याप्त विस्तार अथवा उनकी आरम्भिक स्थापना के लिए उन्हें सेवाकर से पूरी छूट प्रदान करना।
- प्रशीतित वैनों/ट्रकों के विनिर्माण के लिए ट्रक रेफ्रीजेशन यूनिटों के लिए प्राथमिक सीमाशुल्क से पूरी छूट।

इन यूनिटों को उत्पाद शुल्क से पहले ही पूरी छूट मिली हुई है।

- पैडी ट्रांसप्लान्टर, लासरलैंड लेवलर, कॉटन , पिकर, रीपर कम बाइंडर, स्ट्रॉ अथवा फोडर बैलर्स, शुगरकेन हार्वेस्टर जैसी विशिष्ट कृषि मशीनों तथा ट्रल-टाइप कम्बाइन हार्वेस्टर आदि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले ट्रकों पर प्राथमिक सीमाशुल्क 7.5 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन, जल तथा समुद्री उत्पादों तथा मांस के परिवहन अथवा भण्डारण, परिरक्षण में तथा इनके प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त होने वाले विशिष्टीकृत उपस्करों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान करना।
- सड़क मार्ग द्वारा अनाज तथा दालों के परिवहन को सेवा कर से छूट प्रदान करना।
- बीजों की जांच तथा उनके प्रमाणन को सेवा कर से छूट प्रदान करना।
- सौर-विद्युत उत्पादन परियोजनाओं अथवा सुविधाओं की शुरूआती स्थापना के लिए अपेक्षित उपकरणों, यंत्र-साधनों, यंत्रों, मशीनरी मदों पर 5 प्रतिशत की प्राथमिक सीमा शुल्क की रियायती दर। ये मदें उत्पाद शुल्क से भी छूट प्राप्त है।
- टैप-भू-ताप ऊर्जा के लिए ग्राउंड सोर्स हीट पम्प हेतु विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क और प्राथमिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट देना।
- पवन प्रचालित विद्युत जेनरेटर्स के लिए रोटार ब्लेडों के विनिर्माण हेतु अतिरिक्त विशिष्ट कच्ची सामग्री को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान करना।
- शहरी परिवहन के लिए 5 प्रतिशत प्राथमिक सीमा शुल्क की रियायती दर के साथ मोनो रेल परियोजनाओं को आयात स्थिति परियोजना का दर्जा दिया गया है। चाय, कॉफी, तथा रबर प्लांटेशन के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी मौजूदा रूप में 5 प्रतिशत की दर से दी गई रियायत जो कि 6 जुलाई 2010 तक उपलब्ध थी बढ़ाकर 31 मार्च 2011 तक विस्तारित कर दी गई है। 31 मार्च 2011 तक इन मदों पर उत्पाद शुल्क छूट पुनः प्रदान की गई है।
- कार, दुपहिए तथा तिपहिए (जैसे कि सोलेक्शाँ) जैसे इलेक्ट्रिकल वाहनों की सभी श्रेणियों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सभी पुर्जों के लिए 4 प्रतिशत की दर से एक समान रियायती दर प्रदान की गई है बशर्ते इनका उपयोग वास्तविक प्रयोक्तओं द्वारा ही किया जाए। ऐसे सभी वाहनों पर 4 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क भी प्रभारित होगा।

50 आर्थिक समीक्षा 2010-11

- एलईडी लाइटों/लाइटिंग फिक्सचरों पर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

3.16 जहां तक प्रक्रिया के सरलीकरण का सवाल है, 1 अप्रैल 2010 से लघु औद्योगिक इकाइयों (एस.एस.आई.) को प्रमुख वस्तुओं की प्राप्ति पर ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के समय वर्ष में एक बार उन्हें स्थापित करते समय पूरा-पूरा सेनवैट क्रेडिट लेने की अनुमति दी गई है। एसएसआई इकाइयों को त्रैमासिक आधार पर उत्पाद शुल्क अदा करने की सुविधा भी दी गई है। सामान्य एसएसआई छूट स्कीम के तहत ब्रांड नाम प्रतिबंध से मिलने वाली रियायत को पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक बोतलों तथा प्लास्टिक कंटेनरों पर भी लागू कर दिया गया है।

3.17 नीचे लिखे महत्वपूर्ण राहत तथा यौक्तिकीकरण उपायों को भी विस्तारित किया गया है:

- चिकित्सीय उपस्करों पर लगने वाले सीमाशुल्क सम्बन्धी विविध दरों को समाप्त कर दिया गया है तथा अब (कुछेक अपवादों के साथ) सभी चिकित्सीय उपस्करों पर 5 प्रतिशत की समान दर से सीमाशुल्क, 4 प्रतिशत (सीवीडी) उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क का निल विशेष अतिरिक्त शुल्क (अर्थात् 9.2 प्रतिशत का प्रभावी शुल्क) लागेगा। चिकित्सीय उपस्करों की एस्सेसरी बनाने के काम में आने वाले पुर्जों पर भी निल विशेष सीवीडी के साथ 5 प्रतिशत की रियायती दर से प्राथमिक सीमाशुल्क लगाया गया है।
- बजट से पहले, छातों पर 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क था जबकि छाते के पुर्जों पर 8 फीसदी की दर लागू थी तथा छाते का कपड़ा पूरी तरह से छूट प्राप्त था। छातों तथा छातों के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क की एक समान बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गई है।
- बेडिंग वस्तुओं पूरी तरह से निर्मित रजाइयों आदि की सामग्रियों; प्राकृतिक रबर से बने खिलौना गुब्बारों; 'सुपारी' के नाम से ज्ञात पान सामग्री, डीमेन्थॉलीकृत तेलों, डीटरपेन्टेड मेंथा ऑयल, स्परमिन्टा/मेंथा पिपरेटा ऑयल तथा मेंथाल के सभी सह-उत्पादों तथा मध्य-उत्पादनों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।
- घरेलू किस्म के सभी प्रतिस्थापनीय वाटर फिल्टरों की किटों (आरओ प्रौद्योगिकी पर कार्यरत को छोड़कर); स्टैंड-एलोन विनिर्मिताओं द्वारा विनिर्मित अथवा अकेले विनिर्मित कार्टेज बॉक्सों/कार्टनों; तथा रबर के धागों पर लगे उत्पाद शुल्क को घटाकर 8 से 4 प्रतिशत कर दिया गया है।
- माइक्रोवेव अवन के निर्माण हेतु 1,000 कि. वॉट तक के मैगनाट्रॉन्स पर प्राथमिक सीमा शुल्क 10 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक प्रमोशन किट (ईपीके)/बीटा कैम्स आदि के रूप में बिना लागत के आयातित संवर्धक प्रचारात्मक

सामग्री जैसे कि फिल्मों के ट्रेलर आदि को प्राथमिक सीमाशुल्क और सीवीडी से मुक्त कर दिया गया है। पांच प्रतिशत की रियायती दर पर प्राथमिक सीमाशुल्क तथा निल विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के साथ "डिजिटल हेड एंड की सेटिंग" को परियोजना आयात स्थिति का दर्जा दिया गया है।

- रॉडियम, जो कि मुख्यतः स्वर्ण आभूषणों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, पर प्राथमिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।
- सैम्पलों (प्रतिदर्शों) का शुल्क रहित आयात की पिछली सीमा 1 लाख वार्षिक को बढ़ाकर 3 लाख वार्षिक कर दी गई है।
- खेल सामग्रियों के विनिर्माण हेतु जरूरी एक्सेसरीज, कच्चे माल तथा अन्य घटकों की छूट प्राप्त सूची को बढ़ाया गया है तथा इसमें अन्य कई अतिरिक्त मदों को भी शामिल किया गया है।

संग्रह दरें

3.18 साधारण औसत प्रशुल्क, प्रभाषित या वृद्धित औसत प्रशुल्क और प्रशुल्क प्रसारण किसी भी अर्थव्यवस्था के संरक्षण स्तरों को दर्शाते हैं तथा प्रायः क्षेत्र पारीय तुलनाओं में इनका उपयोग किया जाता है। उभरती हुई कई अर्थव्यवस्थाओं में, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट नाभिक प्रशुल्क का स्तर प्रयोगमूलक स्तर पर लागू प्रशुल्कों से काफी अलग हो सकता है क्योंकि इसमें कई छूटें भी होती हैं। इसलिए देश में अंतर अस्थायी परिवर्तनों को और बेहतर तौर पर समझने की दृष्टि से इसमें संग्रहण दरों जैसे उपायों पर विचार करना अधिक उपयोगी होगा। विगत वर्षों में संग्रहण दरों में बराबर गिरावट होती रही है। यह तथ्य कि, प्रशुल्कों की बराबरी में शामिल की गई दरें, जो कि संरक्षण के रूप में नहीं मानी गई हैं, को ध्यान में रखें तो भारत में संरक्षण का वास्तविक स्तर बहुत छोटा रहा है। रसायनों, मानवनिर्मित फाइबरों, धातुओं तथा प्रमुख वस्तुओं के सिवाय संग्रहण दरें सिंगल डिजिट में ही रही हैं। (सारणी 3.4 तथा चित्र 3.5)

सेवा कर

3.19 1994-95 में अपनी शुरुआत से ही सेवाकर प्रत्यक्ष करों का कराधार बढ़ाने में मददगार रहा है। पिछले वर्षों में इसमें शामिल सेवाओं में वृद्धि होती रही है। (सारणी 3.5)। बजट 2010-11 में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थीं:—

(क) सेवा कर की दर 10 प्रतिशत बनाए रखी गई (जोकि राजकोषीय उत्प्रेरक पैकेज के एक भाग के रूप में फरवरी 2009 को 12 प्रतिशत से घटाई गई थी)।

(ख) सेवाकर के दायरे में आठ नई सेवाओं को लाया गया है:—

- (i) लॉटरी सहित भाग्य चमकाने वाली सभी सेवाओं को बढ़ावा देने, उनके विपणन अथवा उन्हें संचालित करने वाली सभी सेवाएं।

सारणी 3.4 : चुनिंदा आयात समूहों के लिए संग्रहण दरें*

(प्रतिशत)

क्रम संख्या	वस्तु समूह	1990-91	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (अनंतिम)
1.	खाद्य उत्पाद	47	22	32	23	19	4	3
2.	पी ओ एल	34	10	6	5	6	3	2
3.	रसायन	92	22	20	22	22	16	14
4.	मानव-निर्मित रेशे	83	39	34	28	30	17	22
5.	कागज तथा अखबारी कागज	24	7	9	10	10	8	8
6.	प्राकृतिक रेशे	20	11	13	12	13	6	4
7.	धातुएं	95	26	25	24	24	17	17
8.	पूँजीगत वस्तुएं	60	16	13	14	16	13	11
9.	अन्य	20	6	5	6	6	4	4
10.	पी ओ एल-भिन्न	51	12	12	12	13	9	8
11.	कुल	47	11	10	10	10	7	6

स्रोत : राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

टिप्पणी: *संग्रहण दर को राजस्व संग्रहण (बुनियादी सीमा शुल्क + प्रतिकारी शुल्क) का छूटों के लिए असमायोजित (प्रतिशत) आयातों के मूल्य के प्रति प्रतिशतता में व्यक्त अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

पीओएल-पेट्रोलियम तेल और स्नेस्क

क्रम सं. 1 में अनाज, दालें, चाय, दूध तथा क्रीम, फल, सब्जियां, पशु वसा तथा शर्करा शामिल हैं।

क्रम सं. 3 में रसायन तत्व, समिश्र, भेषज, रंजक तथा रंगाई सामग्री, प्लास्टिक एवं रबड़ शामिल हैं।

क्रम सं. 5 में लुगदी तथा रद्दी कागज, अखबारी कागज, गत्ते तथा विनिर्मित उत्पाद एवं मुद्रित किताबें शामिल हैं।

क्रम सं. 6 में कच्ची ऊन तथा रेशम शामिल हैं।

क्रम सं. 7 में लोहा तथा इस्पात और अलौह धातुएं शामिल हैं।

क्रम सं. 8 में गैर-इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, परियोजना आयात तथा वैद्युत मशीनरी शामिल हैं।

(ii) स्वास्थ्य सेवाएं-अस्पतालों अथवा चिकित्सा स्थापनाओं द्वारा कारोबारी निकायों के कर्मचारियों के लिए की जाने वाले स्वास्थ्य जांचों, तथा बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य बीमा स्कीमों के तहत उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य सेवाएं

(iii) किसी कारोबारी निकाय के कर्मचारियों के चिकित्सा सम्बन्धी रिकार्डों का अनुरक्षण मुहैया कराने वाली कंपनियां;


(iv) वस्तुओं, सेवाओं, घटनाओं, कारोबारी निकायों आदि के “ब्रांड” को बढ़ावा देने वाली सेवाएं;

(v) किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा आयोजित किसी घटना के व्यापारिक या वाणिज्यिक उपयोग अथवा दोहन की अनुमति देने वाली सेवाएं;

(vi) इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त सेवाएं;

[इन स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया जाने वाला कर उक्त चिकित्सीय जांच या निरोधक देख-भाल अथवा निदान आदि के लिए किए गए भुगतान तक ही सीमित होगा जोकि कारोबारी निकाय या बीमा कंपनी द्वारा सीधे अस्पताल अथवा चिकित्सा स्थापना को अदा किया जाएगा];

चित्र 3.5 चुनिंदा आयात समूहों की संग्रहण दरें



सारणी 3.5 : सेवा कर राजस्व—बढ़ता हुआ राजस्व स्रोत

वर्ष	सेवाओं की संख्या	कर दर प्रतिशत में	राजस्व (₹ करोड़ में)	गत वर्ष की तुलना में संवृद्धि प्रतिशत में
2004-05	75	10	14200	80.0
2005-06	78	10	23055	62.4
2006-07	93	12	37598	63.1
2007-08	100	12	51301	36.4
2008-09	106	12***	60941	18.8
2009-10(अ)	109	10	58454	-4.1
2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर)	117	10	44081	19.2

स्रोत: प्राप्ति बजट तथा महालेखानियंत्रक

* प्रत्येक वर्ष जोड़ी गई प्रविष्टियों पर आधारित।

** वर्ष 2010-11 हेतु वृद्धि (अप्रैल-दिसम्बर) पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए है।

*** 24.2.2009 से 10 पर प्रतिशत घटाई गई।

अ : अनंतिम वास्तविक (अलेखा-परीक्षित)

- (vii) कॉपी राइट की दो किस्मों, जो अभी तक कर योग्य सेवाओं—बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के तहत शामिल नहीं की सकी हैं और नामतः (क) सिनेमोटोग्राफिक्स फिल्मों (ख) साउन्ड रिकॉर्डिंग से सम्बन्धित सेवाओं
- (vii) संभावित खरीददारों को बिल्डर आदि के द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष सेवाओं यथा—उनकी प्राथमिकतानुसार लोकेशन उपलब्ध कराना या अतिरिक्त प्रभार पर आवास परिसरों का आंतरिक अथवा बाह्य विकास करना आदि।
- (ग) सेवाकर वसूली के दायरे को बढ़ाने के लिए मौजूदा कर योग्य सेवाओं की परिभाषाओं में कुछेक संशोधन/परिवर्धन किए गए हैं:—
- कई श्रेणियों में घरेलू यात्राओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं को शामिल करने के लिए कर योग्य सेवा का क्षेत्र 'हवाई यात्री परिवहन सेवा' का विस्तार किया गया है।
 - बजट से पहले, जिन मामलों में आईटी सॉफ्टवेयर कारोबार या वाणिज्य में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वहां सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाएं कर के अधीन थीं। अब कर योग्य सेवाओं का दायरा कारोबार अथवा वाणिज्य के अलावा प्रयुक्त होने वाली अन्य सेवाओं की स्थिति में भी बढ़ा दिया गया है।
 - यह स्पष्ट करने के लिए कि, वाणिज्यिक शब्द संगत परिभाषाओं में परिलक्षित होता है किन्तु इसका एकमात्र

और अकेला अर्थ वह प्रशिक्षण या कोचिंग है जो किसी खास उद्देश्य से दिया जाए भले ही वह प्रशिक्षण या कोचिंग चाहे लाभकारी कार्य माना जाए अथवा नहीं, कर योग्य सेवा की परिभाषा में वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवाओं की एक परिभाषा जोड़ी गई है। यह तब्दीली 01.07.2003 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू है।

- 'प्रायोजक सेवाओं' की कर योग्य सेवाओं की परिभाषा में खेल से संबंधित प्रायोजकत्व के बारे में सभी अपवर्जनों को हटा दिया गया है।
- "परिसर सेवाओं के निर्माण" तथा वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक सेवाओं की परिभाषा में यह व्यवस्था दी गई है कि जब तक संपत्ति का पूरा-पूरा दाम ही निर्माण पूरा होने के बाद न अदा किया गया हो (अर्थात्—सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यसमापन प्रमाणपत्र जारी करने के बाद किया गया हो) तो निर्माण की यह गतिविधि बाद के खरीदारों के बिल्डरों/प्रमोटरों/डेवलपरों हेतु करयोग्य सेवा मानी जाएगी और इस पर तदनुसार सेवाकर वसूला जाएगा।
- निम्नवत प्रकार्यों के लिए कर योग्य सेवा 'अचल सम्पत्ति को किराए पर देना' की परिभाषा में आशोधन किए गए हैं:— i) किराए पर देने का काम अपने आप में एक करयोग्य सेवा है यह सुस्पष्ट करना। यह परिवर्तन 01.06.2007 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू हैं; और ii) यह स्पष्ट करने कि किसी खाली भूखंड जिसमें लेने और देने वाले के बीच लीज की अवधि के दौरान कारोबार या वाणिज्य की वृद्धि के लिए उक्त भूमि पर भवन निर्माण या किसी संरचना को बनाने के लिए कोई संविदा अथवा करार होता है, ऐसे किसी भी भूखण्ड को किराए पर देना सेवाकर के अधीन होगा;
- "एयरपोर्ट सेवाएं" पोर्ट सेवाएं तथा अन्य पत्तन सेवाएं नाम से करयोग्य सेवाओं की परिभाषाओं में नीचे लिखे प्रयोजनों से परिवर्तन किए गए हैं:— क) पूरे एयरपोर्ट/पत्तन परिसर में उपलब्ध कराई गई सभी सेवाएं इन सेवाओं के अंतर्गत आएंगी; और ख) एयरपोर्ट/पोर्ट प्राधिकरणों से प्राप्त प्राधिकार इस सेवाओं पर कर लगने से नहीं रोक सकेगा।
- यह स्पष्ट करने कि "सरकार द्वारा नीलामी" वाक्य का अर्थ किसी नीलामीकर्ता द्वारा सरकारी संपत्ति की नीलामी का कार्य से है, ना कि उस स्थिति से है जबकि किसी निजी संपत्ति की बिक्री के लिए सरकार स्वयं नीलामीकर्ता का कार्य करे, के लिए "नीलामीकर्ता

की सेवाएँ” की करयोग्य सेवाओं की परिभाषा में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है।

- यूलिप सेवाओं के अंतर्गत ‘निवेश का प्रबंधन’ की परिभाषा संशोधित की गई है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पॉलिसी ऑपरेशन के किसी खास वर्ष में कर योग्य सेवाओं का मूल्य बीमाकर्ता द्वारा यूलिप के तहत निधियों के प्रबंधन के लिए प्रभारित वास्तविक राशि अथवा बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा निधि प्रबंधन के लिए ली गई अधिकतम राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

(घ) सेवाकर में कतिपय छूटें भी दी गई हैं:-

- हवाई यात्रियों पर किसी भी सरकार द्वारा प्रभारित सांविधिक कर (जिसमें विदेशी सरकारों, जहां किसी यात्री को जहाज से उतरते समय चिन्हित किया जाता है, शामिल है) को एयर पैसेंजर परिवहन सेवा के अंतर्गत सेवाकर की वसूली के प्रयोजन से कर योग्य मूल्य से अलग रखा गया है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र से आरंभित यात्राओं के हवाई यात्रियों को वायु परिवहन पर सेवाकर से छूट दी गई है।
- निम्नलिखित सेवाओं को लगाने, उन्हें शुरू करने अथवा उनके स्थापन पर सेवाकर से छूट दी गई है:-
 - मशीनीकृत खाद्यान्न हैंडलिंग प्रणाली आदि।
 - शीत गृह, भण्डारों आदि की स्थापना व उनके पर्याप्त विस्तार पर; तथा
 - कृषि, मधुमक्खी, बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन जल, समुद्री उत्पादों तथा मांस उत्पादों आदि के प्रसंस्करण के लिए शुरूआती यूनिट लगाने या उनका पर्याप्त विस्तार करने के काम में आने वाली मशीनों/उपस्कर।
- कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, पैकेज्ड आई.टी. सॉफ्टवेयर, एक बार प्रयुक्त होने वाले रिटेल पैकों में पहले से पैकेज्ड सॉफ्टवेयरों को सेवाकर से छूट दी गई है। इस मामले यह जोड़ा गया है कि खरीददार द्वारा दी गई समूची राशि पर (आयात की स्थिति में) इन मामलों पर या तो सीमाशुल्क लगेगा या (घरेलू उत्पादन की स्थिति में) इन पर उत्पाद शुल्क देना होगा।

- अभी फलों, सब्जियों, अण्डों अथवा दूध के किसी माल परिवहन कंपनी द्वारा सड़क से परिवहन पर सेवाकर से छूट प्राप्त है जिसे छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में वृद्धि के द्वारा खाद्यान्न तथा दालों के परिवहन पर भी लागू कर दिया गया है।
- कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, भारतीय न्यूज एजेंसियों को ‘ऑन लाइन सूचना’ तथा ‘डाटाबेस रिट्रिवल सेवा’ तथा ‘बिजनेस ऑनलाइन सेवाओं’ के तहत सेवाकर से छूट दी गई है।
- केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा केंद्रीय तथा राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं ‘तकनीकी जांच एवं विश्लेषण सेवा’ तथा ‘‘तकनीकी निरीक्षण तथा प्रमाणन सेवा’’ को सेवाकर से छूट दी गई है।
- इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन को सेवाकर से छूट दी गई है।

कर व्यय

3.20 कर व्यय विवरणी (कर प्रोत्साहनों अथवा अधिमानों के कारण परित्यक्त राजस्व की विवरणी) सर्वप्रथम 2007-08 के बजट में संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। ये अनुमान काफी कुछ प्रतिव्ययत्मक प्रकृति के हैं और इनमें उस संभावित राजस्व (एक प्रतिदर्श प्रक्रिया के माध्यम सहित) की मात्रा बताने का प्रयास किया गया है, जो इन छूटों के न दिए जाने की स्थिति की स्थिति में प्राप्त होता; यह मानते हुए कि कर आधार और अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहतीं। इसके बाद इसे प्रतिवर्ष प्रकाशित करना जारी रखा गया और 2010-11 के बजट में, 2008-09 और 2009-10 के कारपोरेट आय कर के अधीन छूटों के कारण परित्यक्त कर क्रमशः ₹66,901 करोड़ और ₹79,554 करोड़ रूप में होने का अनुमान लगाया गया। त्वरित मूल्यहास, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों में स्थित यूनिटों और निर्यात-मुख्य इकाइयों के निर्यात लाभों में कटौती इन कारपोरेट छूटों के अधीन कुछ प्रमुख मदें थीं। वैयक्तिक आय कर के अधीन छूटों के कारण परित्यक्त कर 2008-09 और 2009-10 में क्रमशः ₹33,216 करोड़ और ₹36,186 करोड़ था। इसमें मुख्य रूप से आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अधीन कतिपय पात्र निवेश और व्यय के मद में कटौती मुख्य छूटें थीं।

54 आर्थिक समीक्षा 2010-11

3.21 उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में परित्यक्त राजस्व के अनुमान मौटे तौर पर शुल्कों की सांविधिक अथवा अनुसूची दरों और शुल्कों की प्रभावी या प्रयोज्य दरों को निर्धारित मूल्य द्वारा गुणा करके लगाए जाते हैं। 2008-09 के लिए उत्पाद शुल्क में परित्यक्त कुल राजस्व ₹ 1,35,496 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से क्षेत्र आधारित छूटें केवल ₹ 5,882 करोड़ बनती थीं। सीमा शुल्क में, विभिन्न छूटों के तहत परित्यक्त राजस्व 2008-09 में ₹ 2,02,240 करोड़ और 2009-10 में ₹ 2,18,191 करोड़ थी। इन छूटों से सबसे अधिक लाभ निम्नलिखित सेक्टरों को हुआ: कच्चा तेल और खनिज तेल; मशीनरी; हीरा, सोना और आभूषण; खाद्य सब्जियां, फल, अनाज, खाद्य तेल, रसायन और प्लास्टिक; तथा प्राथमिक धातुएं तथा उनके सामान विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के कारण परित्यक्त राजस्व 2008-09 में ₹ 44,417 करोड़ और 2009-10 में ₹ 37,970 करोड़ था। कुल मिलाकर, सकल कर संग्रहण के समानुपात के रूप में कर व्यय 2008-09 में 68.9 प्रतिशत आंका गया और इसके 2009-10 में 79.5 प्रतिशत तक बढ़ जाने का अनुमान है।


व्यय की प्रवृत्तियां

3.22 लोक व्यय के राजस्व और पूंजी, और आयोजना तथा आयोजना-भिन्न के वर्गीकरण की (2 × 2) योजना में, लोक व्यय प्रबंधन नीतियों का मुख्य जोर, विशेषरूप से एफआरबीएम प्रतिबद्धताओं की दृष्टि से आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय को नियंत्रित करने तथा आयोजना व्यय, अधिमानतः पूंजी व्यय के स्तरों को बढ़ाने पर रहा है। आयोजना-भिन्न राजस्व के पांच प्रमुख घटक इस प्रकार हैं: ब्याज अदायगियां, सब्सिडियां, रक्षा व्यय, वेतन और पेंशन। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, रक्षा व्यय और ब्याज अदायगियां कमोबेश स्थिर रहे हैं। अन्य व्यय के प्रतिबद्ध स्वरूप को देखते हुए इस वर्गीकरण के अधीन


तात्कालिक और वास्तविक संकुचन केवल सब्सिडियों से आ सकता है; अतः हाल के बजटों में सब्सिडी में सुधारों पर जोर रहा है। वैश्विक संकट के प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने के लिए राजकोषीय विस्तार को देखते हुए, 2008-09 और 2009-10 में आयोजना व्यय की फ्रंट लोडिंग संभव थी। यद्यपि 2009-10 के बजट अनुमानों में आयोजना व्यय के रूप में ₹ 3,25,149 करोड़ (स.घ.उ. के 5.6 प्रतिशत के बराबर) की राशि निर्धारित की गई थी, लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अनन्तिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, आयोजना व्यय ₹ 302,199 करोड़ (सघउ के 4.6 प्रतिशत के बराबर) था। 2010-11 के बजट के अनुसार, चालू राजकोषीय वर्ष के लिए आयोजना व्यय ₹ 3,73,092 करोड़ रखा गया, जो सघउ के 4.7 प्रतिशत के बराबर है (चित्र 3.6 और 3.7)

ब्याज अदायगियां

3.23 मार्च अंत में बकाया देनदारियों के स्तरों और राजकोषीय वर्ष के दौरान वृद्धिशील देनदारियों की परिकल्पना का किसी निश्चित वर्ष में ब्याज अदायगियां के स्तरों पर निर्णायक प्रभाव होता है। विगत की विवेकसम्मत राजकोषीय प्रबंधन में कमी को परिलक्षित करते हुए, ब्याज अदायगियां निरन्तर दर पर बढ़ रही हैं, और पिछले पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियों के लगभग 35 प्रतिशत के बराबर है, इस तथ्य को देखते हुए कि बकाया देनदारियों का स्तर राजकोषीय समेकन के साथ मध्यम से दीर्घावधि में ही नीचे आ सकता है, एफआरबीएम फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक वृद्धिशील देनदारियों की परिकल्पना में क्रमिक रूप से कमी लाना था। इसे परिलक्षित करते हुए, सघउ के अनुपात के रूप में, ब्याज अदायगियां 2003-04 में 4.5 से नीचे आकर 2007-08 में 3.4 प्रतिशत हो गईं। राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर ब्याज अदायगियों को घटाकर, उधार की औसत लागत 2010-11 में 7.7 प्रतिशत



चित्र 3.7 राजस्व व्यय की संरचना



से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 7.9 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले वर्ष बकाया ऋण के उच्चतर स्तरों को परिलक्षित करता है (सारणी 3.6 और चित्र 3.8)

सब्सिडी

3.24 स.घ.उ. के अनुपात के रूप में, सब्सिडी का स्तर 2004-05 में 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 2.3 प्रतिशत हो गया है। (चित्र 3.9) सब्सिडी के बदले जारी बिलो-द-लाइन बांड भी 2008-09 में ₹1,10,510 करोड़ के स्तर तक बढ़ गए हैं (सघउ का 2 प्रतिशत)। सब्सिडी में इस वृद्धि का कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों के बढ़े स्तर और घरेलू बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बराबर वृद्धि न होने के साथ-साथ उर्वरक सब्सिडियों में भी परिलक्षित है, क्योंकि फीडस्टॉक की लागत प्रमुख लागत है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, कुछ संक्षिप्त समय के लिए राहत थी; तत्पश्चात् कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ने लगी हैं। कुछ सब्सिडियों को अच्छी तरह से लक्षित नहीं किया गया। 2010-11 के बजट में सभी सब्सिडी संबद्ध देनदारियों को राजकोषीय लेखांकन में लाने के आशय की भी घोषणा की गई। यह इस संदर्भ में था कि हाल के बजट उर्वरकों और पेट्रोलियम में सब्सिडी व्यवस्था को पुनर्संरचित करने पर केन्द्रित रहे हैं। प्रथम कदम के रूप में, पेट्रोल (मोटर स्प्रीट) के मूल्य निर्धारण को उदार बनाया गया और केरोसीन और एलपीजी के नियंत्रित मूल्यों में साधारण वृद्धि घोषित की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन का बिक्री मूल्य दिल्ली में ₹3 प्रति लीटर तक बढ़ाया गया और बाकी देश में तदनुसारी वृद्धि की गई और घरेलू एलपीजी का मूल्य दिल्ली में ₹35 प्रति सिलिंडर (14.2 कि.ग्रा.) और बाकी देश में तदनुसार बढ़ाई गई।

अनुदानों की पूरक मांगें

3.25 संसद के समक्ष अनुदानों की पूरक मांगें उन सभी व्यय प्रस्तावों (आधिक्य या नए अथवा पुनर्विनियोग) को शामिल करने के लिए प्रस्तुत की जाती है, जिनकी बजट प्रस्तुत करते समय परिकल्पना नहीं की गई थी और उन्हें चालू वर्ष में करना पड़ा। मौजूदा राजकोषीय वर्ष में अब तक दो अनुदानों की पूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं। ₹68,294.3 करोड़ के कुल सकल अतिरिक्त व्यय हेतु जिनमें ₹54,588.6 करोड़ का निवल नकदी


सारणी 3.6 : केंद्र सरकार की बकाया आंतरिक देयताओं

	बकाया आंतरिक देयताएं	आंतरिक देयताओं पर ब्याज	उधारों की औसत लागत (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
	(करोड़ ₹)		
2004-05	1603785	105176	7.2
2005-06	1752403	111476	7.0
2006-07	1967870	128299	7.3
2007-08	2247104	149801	7.6
2008-09*	2565991	170388	7.6
2009-10(सं.अ.)	2902990	198797	7.7
2010-11(ब.अ.)	3306626	227942	7.9

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज

- *घरेलू ऋण पुनर्खरीद योजना और विदेशी ऋण की पूर्व अदायगी के मद में प्रीमियम के लिए ₹563 करोड़ की राशि शामिल नहीं है।
- टिप्पणी: 1. उधार की औसत लागत 'टी' वर्ष में ब्याज भुगतान की 'टी-1' वर्ष में बकाया देयताओं की प्रतिशतता है।
2. बकाया आंतरिक देयताओं में राज्यों को दिए गए एनएसएसएफ ऋण शामिल नहीं है जिन पर केन्द्र की कोई ब्याज देयता नहीं है।
3. पहले के अंकों में सूचित ब्याज अदायगी के आंकड़े भिन्न हो सकते हैं क्योंकि ये आंकड़े 1999-2000 अर्थात् एनएसएसएफ के गठन से सरकार द्वारा प्रदत्त एनएसएसएफ पर ब्याज अदायगियों को घटाकर हैं।

चित्र 3.8 आंतरिक देयताओं पर ब्याज तथा उधार लेने की औसत लागत




व्यय शामिल था, अगस्त 2010 में (61 अनुदानों और दो विनियोगों) संसद द्वारा पहले बैच का अनुमोदन किया गया। नकदी खर्च वाली प्रमुख मदों में तेल कंपनियों की प्रतिपूर्ति (₹14,000 करोड़), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की अतिरिक्त आवश्यकता (₹7,337.5 करोड़); और राज्य और केन्द्र शासित सरकारों को अन्तरण (₹ 6,379 करोड़) शामिल हैं। अनुदानों की पूरक मांगों की दूसरे बैच का अनुमोदन संसद द्वारा दिसम्बर, 2010 में किया गया। जिसमें 56 अनुदानों और दो विनियोग शामिल थे। संसद द्वारा अनुमोदित कुल सकल अतिरिक्त व्यय ₹ 44,945.5 करोड़ था। इसमें ₹ 19,812.4 करोड़ की निवल नकदी खर्च और सकल अतिरिक्त व्यय को शामिल करती हुई तकनीकी पूरक मांगों शामिल है, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा ₹ 25,132.5 करोड़ की वर्धित प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा संतुलित किया गया है। नकदी खर्च वाली प्रमुख मदों में उर्वरक विभाग के प्रतिपूर्ति (₹ 5,000 करोड़) और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (₹ 5,000 करोड़; केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 2000 करोड़); पीएमजीएसवाई की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 3,000 करोड़) शामिल हैं

केन्द्रीय आयोजना परिव्यय

3.26 ₹ 2,29,163 करोड़ के सकल बजटीय सहायता के उच्चतर स्तर श्रेणी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ₹ 1,96,427 करोड़ के आन्तरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों सहित 2009-10 (संशोधित अनुमान) के लिए केन्द्रीय आयोजना व्यय ₹ 4,25,590 करोड़ आंका गया। जीबीएस कुल परिव्यय का 53.8 प्रतिशत बनता है। 2009-10 (सं.अ0) की तुलना में 23.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 2010-11 के बजट में केन्द्रीय आयोजना परिव्यय अब ₹ 5,24,484 करोड़ है। परिव्यय में ₹ 2,80,600 करोड़ की बजटीय सहायता और ₹ 2,43,884 करोड़ का केन्द्रीय-सरकारी उद्यमों का आईबीआर शामिल है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए व्यापक सेक्टर वार आवंटन में शामिल है-ऊर्जा (27.9 प्रतिशत); सामाजिक सेवा (24.3 प्रतिशत); परिवहन (19.4 प्रतिशत); संचार (3.5 प्रतिशत); ग्रामीण विकास (10.5 प्रतिशत); उद्योग और खनिज (7.4 प्रतिशत); कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां (2.3 प्रतिशत); और सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण (0.1 प्रतिशत) शामिल है। 2010-11 (बजट अनुमान) में राज्य

चित्र 3.9 स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में आर्थिक सहायता



और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ₹ 92,492 करोड़ रखी गई हैं, जो 2009-10 (सं.अ.) की अपेक्षा 7.5 प्रतिशत की वृद्धि है।

सरकारी ऋण

3.27 कई देशों में राजकोषीय नियमों में ऋण घटाने सम्बन्धी लक्ष्यों में भी शामिल किया जाता है। एफआरबीएम नियमावली, 2004 में सार्वजनिक ऋण के बारे में वृद्धि परक पूर्वानुमान नियम भी है जिसमें कहा गया है कि, “केंद्र सरकार वर्ष 2004-05 में जीडीपी के 9 प्रतिशत से ज्यादा अतिरिक्त देनदारियां धारित नहीं करेगी (इसमें चालू विनिमय दरों पर लिया जाने वाला बाह्य ऋण भी शामिल है), जीडीपी के 9 प्रतिशत की उक्त सीमा अगले वर्षों में प्रगामी तौर पर कम से कम जीडीपी के एक प्रतिशत बिंदु तक बढ़ाई जाएगी”। तथापि यहां ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है जिसमें सार्वजनिक ऋण के समग्र स्तर में कमी का लक्ष्य नियत किया गया हो। जीडीपी के अनुपात के तौर पर सांकेतिक जीडीपी में बढ़ोतरी के सापेक्ष इसकी वृद्धि को सीमित करके या वृद्धि परक देनदारियों के निचले पूर्वानुमान के द्वारा अथवा ऋण में संकुचन आदि उपायों के माध्यम से सार्वजनिक ऋण को कम किया जा सकता है। तेरहवें वित्त आयोग ने 2014-15 तक केंद्र तथा राज्यों के सम्मिलित ऋण की सीमा 68 प्रतिशत संस्तुत की है। बजट 2010-11 में एक प्रास्थिति पत्र प्रकाशित करने जिसमें स्थिति का व्यापक विश्लेषण किया गया है तथा छ महीनों की अवधि के भीतर समग्र सार्वजनिक ऋण घटाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के इरादे की घोषणा की गई है नवम्बर 2010 (बॉक्स 3.2) इस आशय का एक प्रास्थिति पत्र संसद में प्रस्तुत किया गया था।

3.28 जीडीपी के अनुपात के तौर पर केंद्रीय सरकार की बकाया सभी आंतरिक देनदारियां वर्ष 2005-06 में 58.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009-10 (सं. अनु.) में 51.5 प्रतिशत पर आ गई हैं। वर्ष 2010-11 में जीडीपी के 48 प्रतिशत इन्हें बजट में लिया गया है (सारणी 3.7 क तथा चित्र 3.10)। एफआरबीएम अधिनियम के प्रचालित होने के बाद इन स्तरों में धीमी गिरावट रही है। इसके बाद वर्ष 2008-09 और 2009-10 में राजकोषीय विस्तार के बाद गिरावट में हल्कापन आया; वर्ष 2010-11 (ब. अनु.) में साधारण विकृति देखी गई है (सारणी 3.7 ख) यह प्रवृत्ति वृद्धिपरक देनदारियों, जो कि पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी हैं, के पूर्वानुमान में भी परिलक्षित होता है।

बजट का आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण

3.29 राजकोषीय सूचकांकों के आधार पर किए गए विश्लेषण राजकोषीय स्थिति तथा उसके प्रबन्धन को समझने में अनुदेशात्मक होते हैं लिहाजा राजकोषीय नीतियों के वृहद आर्थिक आयामों को राष्ट्रीय आय समाकलनों के संदर्भ में राजकोषीय महत्ता के पुनर्वर्गीकरण के माध्यम से समझना ज्यादा बेहतर है। केंद्रीय

सरकार के बजट का आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण, उपयोग व्यय तथा पूंजी निर्माण के स्तरों पर केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए कार्यों की महत्ता को दर्शाता है। बजट अनुमान 2010-11 में 10,79,985 करोड़ रुपए के कुल व्यय (जीडीपी का 13.7 प्रतिशत के समतुल्य) में से 21 प्रतिशत उपभोग व्यय (जिसकी राशि ₹2,24,027 करोड़ थी अथवा जो जीडीपी का 2.8 प्रतिशत था) के तौर पर प्रयुक्त किया गया था और 18 प्रतिशत पूंजी निर्माण में लगा (राशि -₹1,94,473 करोड़ या जीडीपी का 2.5 प्रतिशत) इसके साथ ही शेष राशि को अंतरण भुगतानों (मुख्यतः राज्यों को) के रूप में लेखांकित किया गया। सरकार की बचत विहीनता का स्तर प्रगामी रूप से नीचे आ गया और वर्ष 2007-08 में बचतें सकारात्मक रहीं; तथापि वर्ष 2008-09 में बचत विहीनता राजकोषीय विस्तार के फलस्वरूप एक बार फिर उभरी (सारणी 3.8)। वर्ष 2008-09 में ₹2,53,712 करोड़ के स्तर पर थोड़े समय के लिए ऊपर पहुंचकर बजट अनु. 2010-11 में सरकार की बचतविहीनता ₹1,92,705 करोड़ अनुमानित की गई थी। बचतों तथा पूंजी निर्माण के बीच के अंतराल को अधिकांशतः घरेलू अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में ड्राफ्ट के द्वारा ही वित्तपोषित किया जाता है। बचतविहीनता की वापसी अवश्यभावी है।

राजकोषीय परिणाम


3.30 मूलभूत राजकोषीय संकेतकों के संदर्भ में देखें तो, दूरसंचार 3जी/बी.डब्ल्यू.ए. नीलामियों और अप्रत्यक्ष करों से अनुमानित राजस्व से कहीं ज्यादा रहने के कारण, बजट अनुमानों में की गई संकल्पना से कहीं बेहतर परिणाम रहे हैं। इस प्रकार उपलब्ध गुंजाइश से अनुपूरक मांग अनुदानों के मार्फत प्रस्तावित अतिरिक्त व्यय करना सुविधाजनक होगा। सीजीए द्वारा 31 दिसम्बर 2010 को अप्रैल-दिसम्बर 2010 के संघीय वित्तीयन पर जारी किए गए आंकड़ों में यह दर्शाया गया है कि मुख्य राजकोषीय संकेतक व्यापक रूप से बजट 2010-11 द्वारा प्रशस्त समेकित पथ पर ही निर्भर थे। बजट अनुमान द्वारा यथा-परिकल्पित 17.9 प्रतिशत के स्तर की तुलना में चालू राजकोष के नौ महीनों में सकल कर राजस्व वृद्धि 26.8 प्रतिशत रही है। पिछले वर्ष 23.7 प्रतिशत के वृद्धि स्तर तथा बजट अनुमान में यथा-परिकल्पित 32 प्रतिशत के मुकाबले चालू राजस्व में पहले नौ महीनों में गैर-कर राजस्व वृद्धि 136.4 प्रतिशत रही है। पहले नौ महीनों में राजस्व प्राप्तियां 50 प्रतिशत से भी अधिक रही हैं (सारणी 3.9)। मुख्य करों में (ब.अनु. में यथा-परिकल्पित वृद्धि की तुलना में) वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर इस प्रकार रही:— सीमा शुल्क 65.8 प्रतिशत (36.1 प्रतिशत); केंद्रीय उत्पाद शुल्क 36.5 प्रतिशत (29.4 प्रतिशत), सेवा कर 19.7 प्रतिशत (17.2 प्रतिशत); निगम आयकर 20.4 प्रतिशत (18.1 प्रतिशत) और वैयक्तिक आय कर 13.1 प्रतिशत (-3.6 प्रतिशत)।

बॉक्स-3.2: सरकारी ऋण रिपोर्ट

वर्ष 2010-11 के बजट में की गई इस आशय की घोषणा के अनुसरण में नवम्बर, 2010 में सरकारी ऋण पर एक अवस्थिति पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पत्र में स्थिति का व्यापक विश्लेषण किया गया था और वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार की सकल घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में समग्र ऋण में कमी लाने के क्रम में एक खाका तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं इस प्रकार हैं:—

- ऋण प्रबंधन नीति का उद्देश्य निम्नतम संभावित दीर्घ-आवधिक ऋण लागतों पर केंद्र सरकार का वित्त-पोषण प्राप्त करना और कुल ऋण को वहनीय सीमा तक बनाए रखना अर्थात् उन्हें नियंत्रित रखना है। इसके साथ-साथ इसका मकसद-अच्छी तरह से कारगर तथा जीवंत घरेलू बांड मार्केट के विकास में मदद करना भी है।
- सरकारी ऋण के तीन महत्वपूर्ण लक्षणों में वित्तपोषण के स्रोत, ऋण की नियत ब्याज प्रवृत्ति तथा दीर्घ अवशिष्ट परिपक्वता का होना है। समग्र सरकारी ऋणों में करीब 92 प्रतिशत आंतरिक ऋण है जबकि शेष 8 प्रतिशत बाहरी ऋण है। आंतरिक ऋणों में मुख्यतः नीलामी के मार्फत अनुबंधित दिनांकित प्रतिभूतियों के रूप में उगाहे गए बाजार ऋण शामिल हैं। ज्यादातर दिनांकित प्रतिभूतियां (97 प्रतिशत) फिक्स कूपन हैं तथा सिर्फ 3 प्रतिशत परिवर्तनीय दरों के बांड हैं। इन दिनांकित प्रतिभूतियों की औसत भारित परिपक्वता अवधि लगभग 10 वर्ष है जबकि इनकी औसत भारित ब्याज दर करीब 7.8 प्रतिशत प्रति वर्ष है।
- तेरहवें वित्त आयोग, जिसमें ऋण का आकलन जीडीपी अनुपात के रूप में किया है तथा इसे घटाने की दिशा में एक खाका तैयार किया है, की रिपोर्ट के बाद सीएसओ ने सांकेतिक जीडीपी में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और संशोधित आंकड़ों के अनुसार संस्तुत राजकोषीय घाटों से कहीं ज्यादा होने के बावजूद जीडीपी अनुपात के रूप में ऋण के स्तरों में भी कमी लाई जा सकती है। इस प्रकार तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत लक्ष्य से अधिक उच्चतर लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है जिसके लिए केंद्र का राजकोषीय घाटा 2014-15 तक जीडीपी का 3 प्रतिशत तक घट जाएगा और तदनुसार जीडीपी के अनुपात के रूप में ऋण वर्ष 2009-10 में 50.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 43 प्रतिशत हो जाएगा।
- वर्ष 2009-10 में राज्य सरकारों का बकाया ऋण जीडीपी का 26.3 प्रतिशत आकलित किया गया है। तथापि केंद्रीय सरकार की 14 दिवसीय ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश के कारण इन देनदारियों का निवल घटकर जीडीपी का 24.8 प्रतिशत ही रह जाएगा। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत स्तर पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे के साथ राज्यों के लिए एक खाका तैयार किया गया है। राजकोषीय घाटे पर परित्यक्त पुर्वानुमान के साथ अनुमान है कि राज्यों का समेकित ऋण जो कि वर्ष 2009-10 में जीडीपी का 24.8 प्रतिशत है घटकर वर्ष 2014-15 में 23.1 प्रतिशत हो जाएगा।
- राज्यों को दिए केंद्रीय ऋणों के प्रभाव को ध्यान में रखें तो केंद्र सरकार का समेकित ऋण 2004-05 में 79.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2007-08 में 68.7 प्रतिशत रह गया है। तथापि, 2008-09 में वैश्विक संकट के दौरान बाद यह बढ़कर 71.1 प्रतिशत तथा आगे वर्ष 2009-10 में इसका 73 प्रतिशत होने का अनुमान है। स्मरणीय है कि बारहवें वित्त आयोग ने केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए वर्ष 2009-10 के लिए जीडीपी का 74 प्रतिशत समेकित ऋण की सिफारिश की थी। 2008-09 तथा 2009-10 में राजकोषीय घाटा लक्ष्यों में विचलन होने के बावजूद वर्ष 2009-10 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र का समग्र ऋण 73 प्रतिशत पर ही स्थिर रहकर संस्तुत लक्ष्य के भीतर ही बना रहा।
- समेकित सामान्य सरकारी ऋण के लिए संस्तुत दिशा-निर्देश में ऋण को वर्ष 2009-10 में जीडीपी के 73 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2014-15 तक 64.9 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है यह सामान्य सरकार के समेकित ऋण में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 8.1 प्रतिशत कमी को दर्शाता है।
- 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ऋण घटाने के सुझाए गए दिशानिर्देशों में, राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। वर्ष 2010-11 में राजकोषीय घाटा कम करने के साथ पिछले दो वर्षों में ऋण बढ़ने की प्रवृत्ति को रोका गया है। राजकोषीय घाटा धीरे-धीरे घटाने के लिए सरकार पुख्ता उपाय कर रही है ताकि जीडीपी के अनुपात के रूप में ऋण को वर्ष 2013-14 तक संकट-पूर्व स्तर 68.7 प्रतिशत तक लाया जाए और तथा वर्ष 2014-15 में इसे सुधार कर जीडीपी के 65 प्रतिशत तक पहुंचा दिया जाए।

चित्र 3.10 ऋण स.घ.उ. का अनुपात



सारणी 3.7क : केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
	(मार्च-अंत)					
	(करोड़ ₹)					
1. आंतरिक देयताएं #	2165902	2435880	2725394	3036132	3376325	3782553
क) आंतरिक ऋण	1389758	1544975	1808359	2028549	2337682	2736754
i) बाजार उधार	862370	972801	1092468	1326094	1734505	2079535
ii) अन्य	527388	572174	715891	702455	603177	657219
ख) अन्य आंतरिक देयताएं	776144	890905	917035	1007583	1038643	1045799
2. विदेशी ऋण (बकाया) *	94243	102716	112031	123046	139581	162045
3. कुल बकाया देयताएं (1+2)	2260145	2538596	2837425	3159178	3515906	3944598
4. विभाजन पूर्व ऋण के भाग के आधार पर पाकिस्तान द्वारा देय राशि	300	300	300	300	300	300
5. निवल देयताएं (3-4)	2259845	2538296	2837125	3158878	3515606	3944298
	(सघड के प्रतिशत के रूप में)					
1. आंतरिक देयताएं	58.7	56.7	54.7	54.4	51.5	48.0
क) आंतरिक ऋण	37.6	36.0	36.3	36.3	35.7	34.7
i) बाजार उधार	23.4	22.7	21.9	23.8	26.5	26.4
ii) अन्य	14.3	13.3	14.4	12.6	9.2	8.3
ख) अन्य आंतरिक देयताएं	21.0	20.7	18.4	18.0	15.9	13.3
2. विदेशी ऋण (बकाया) *	2.6	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1
3. कुल बकाया देयताएं	61.2	59.1	56.9	56.6	53.7	50.1
जापान मदें						
(क) विदेशी ऋण (करोड़ रु.)@	194078	201204	210083	264076	249311	272779
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	5.3	4.7	4.2	4.7	3.8	3.5
(ख) कुल बकाया देयताएं (समायोजित) (करोड़ रु.)	2359980	2637084	2935477	3300208	3625636	4055332
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	63.9	61.4	58.9	59.1	55.4	51.5
(ग) आंतरिक देयताएं (भारतीय रिजर्व बैंक-भिन्न)###	1969106	2217671	2471396	2687037	3041134	3447362
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	53.3	51.6	49.6	48.1	46.4	43.8
(घ) बकाया देयताएं (भारतीय रिजर्व बैंक-भिन्न)### (करोड़ रु.)	2163184	2418875	2681479	2951113	3290445	3720141
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	58.6	56.3	53.8	52.9	50.2	47.2
(ड) केन्द्र सरकार की आकस्मिक देयताएं (₹ करोड़ रुपए)	110626	109826	104872	113335	उ.न.	उ.न.
केन्द्र सरकार की आकस्मिक देयताएं (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	3.0	2.6	2.1	2.0	उ.न.	उ.न.
(च) कुल परिसंपत्तियां (करोड़ रुपए)	1194446	1339119	1571668	1569043	1590027	1754040
कुल परिसंपत्तियां (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	32.3	31.2	31.5	28.1	24.3	22.3

स्रोत : 1. केन्द्रीय बजट दस्तावेज 2. सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक 3. भारतीय रिजर्व बैंक

उ.न. : उपलब्ध नहीं

* विदेशी ऋण के आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा विदेशी स्रोतों से लिए गए उधारों के द्योतक हैं और पारंपरिक विनिमय दरों पर आधारित हैं।

@ वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर रूपांतरित। वर्ष 1990-91 के लिए मार्च 1991 के अंत में प्रचलित दरें; 1999-2000 के लिए मार्च अंत, 2000 की प्रचलित दरें इत्यादि।

आंतरिक ऋण में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए ₹ 29,062 करोड़, 2006-07 के लिए ₹ 62,974 करोड़ और 2007-08 के लिए 1,70,554 करोड़ 2008-09 के लिए ₹ 88,773 करोड़ और 2010 (ब.अ.) के लिए ₹ 50,000 करोड़ के निवल उधार शामिल हैं।

इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विक्रेय दिनांकित प्रतिभूतियां शामिल हैं।

टिप्पणी : चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

सारणी 3.7ख : केन्द्र सरकार की वर्धित निवल देयताएं

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
एफआरबीएम नियमावली के अनुसार लक्ष्य	8	7	6	5	4	3
वास्तविक (करोड़ रु.)	265723	278451	298829	321753	356728	428692
स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में वास्तविक	7.2	6.5	6.0	5.8	5.4	5.4

*अनुमानित वर्धित निवल देयताएं प्राप्त बजट 2010-11 के अनुबन्ध 3(1) में दी गई देयताओं से संबंधित आंकड़ों से संकलित की गई हैं।

3.31 चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में कुल व्यय में वर्षानुवर्ष वृद्धि 2009-10 (अप्रैल-दिसम्बर) में 18.5 प्रतिशत के स्तर के मुकाबले 11.2 प्रतिशत पर थी और 2010-11 के बजट अनुमान में इसे पूरे वर्ष के लिए 8.5 प्रतिशत रखने पर विचार किया गया है। जहां आयोजना व्यय में 2009-10 (अप्रैल-दिसम्बर) में 23.0 प्रतिशत के मुकाबले अप्रैल-दिसम्बर 2010-11 में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, आयोजना भिन्न व्यय में 16.6 प्रतिशत के मुकाबले 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सीजीए के अनुसार, दिसम्बर 2010 के अंत तक 84.7 प्रतिशत सकल बाजार उधार ले लिए गए। राजस्व और व्यय में उपर्युक्त प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित करते हुए राजस्व घाटा ₹1,16,309 करोड़ रखा गया था जो इसके बजट अनुमान का 42.1 प्रतिशत था और अप्रैल-दिसम्बर 2009 के स्तर से 53.7 प्रतिशत कम था, राजकोषीय घाटा ₹1,71,249 करोड़ था जो बजट अनुमान के 44.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया (सारणी 3.10) और इसने अप्रैल-दिसम्बर 2009 के स्तर के मुकाबले 44.8 प्रतिशत की गिरावट दर्शाई। ये घाटा संकेतक अगले तीन महीनों में व्यय में बढ़त के बावजूद लक्षित स्तरों पर बने रहेंगे।

केन्द्र सरकार के विभागीय उद्यमों का निष्पादन

रेलवे

3.32 2009-10 में 887.79 मिलियन टन भाड़ा लदान के साथ भारतीय रेलवे ने 2008-09 के स्तर की तुलना में 54.40 मिलियन टन का वृद्धिशील लदान हासिल किया। तथापि, 2009-10 के दौरान भाड़ा लदान संशोधित लक्ष्य से 2.2 मिलियन टन कम रहा। इसके परिणामस्वरूप 2008-09 की तुलना में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बावजूद ₹58,502 करोड़ के भाड़ा अर्जन 2009-10 के संशोधित लक्ष्य से ₹214 करोड़ कम रहते। 2009-10 के दौरान यात्री अर्जन (अन्य कोच अर्जन छोड़कर) 2008-9 में ₹21,931 करोड़ के मुकाबले ₹23,488 करोड़ था

जिसमें 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। 2009-10 के लिए सम्पूर्ण यातायात राजस्व ₹87,105 करोड़ था जिसने 2008-09 की तुलना में 9.1 की वृद्धि दर्ज की है। बकाया यातायात से ₹141 करोड़ के और संचय को हिसाब में लेते हुए 2009-10 के लिए रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियां ₹86964 करोड़ थी।

3.33 2009-10 के दौरान साधारण कार्यचालन खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 21.1 प्रतिशत बढ़कर ₹65,810 करोड़ हो गए। साधारण कार्यचालन खर्चों में इस वृद्धि की वजह छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के बकायों (60 प्रतिशत) की दूसरी किस्त के भुगतान थी। मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए विनियोजन और ₹82,915 करोड़ की पेंशन निधि सहित कुल कार्यचालन खर्च में विगत वर्ष की तुलना में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

3.34 विविध प्राप्तियों और विविध व्यय के निवल अन्तर को देखते हुए 2009-10 में रेलवे का निवल राजस्व ₹5,544 करोड़ था। रेलवे ने 2009-10 के दौरान वित्त वर्ष के लिए ₹5543 करोड़ की लाभांश देयता के पूरे भुगतान के पश्चात लगभग ₹1 करोड़ का आधिक्य अर्जित किया। प्रचलित आर्थिक स्थितियों के कारण यातायात राजस्व में कम वृद्धि, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण कार्यचालन व्ययों में अत्यधिक वृद्धि और स्फीतिकारी कारकों ने 2009-10 में रेलवे की वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जो इसके गिरते संचालन अनुपात¹ होता है जो 2008-09 में 90.5 प्रतिशत के मुकाबले 95.3 के स्तर पर जा पहुंचा। प्रभारित पूंजी के अनुपात के रूप में निवल राजस्व और वित्त वर्ष के लिए पूंजी निधि से किया गया निवेश 4.5 प्रतिशत था।

3.35 2009-10 के लिए आयोजना परिव्यय ₹39,235 करोड़ था जिसमें आंतरिक रूप से सृजित ₹12196 करोड़ (कुल परिव्यय का 31 प्रतिशत) और भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा ₹9,323 करोड़ के बाजार उधार शामिल थे और जिसमें रेल विकास निगम के उधार भी शामिल थे। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज के सुदृढीकरण के अलावा अलावा समर्पित माल वहन कारिडोर संबंधी कतिपय महत्वपूर्ण

¹संचालन अनुपात ट्रैफिक अर्जन से कार्यकरण खर्चों के प्रतिशत का द्योतक है।

सारणी 3.8 : केन्द्र सरकार का कुल व्यय तथा पूंजी निर्माण तथा इसके वित्तपोषण

(केन्द्र सरकार बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.ओ.)	2010-11 (ब.अ.)
	(करोड़ ₹)					
I. कुल व्यय	501083	570185	688908	864530	1005297	1079985
II. केन्द्र सरकार के बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण	84757	87885	143892	136935	154827	194473
(i) केन्द्र सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण	34450	36487	43652	51464	61190	71537
(ii) अर्थव्यवस्था के शेष भाग में पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	50307	51398	100240	85471	93637	122936
III. केन्द्र सरकार की सकल बचत	-61431	-33918	13674	-176082	-253712	-192705
IV. अन्तर (II-III)	146188	121803	130218	313017	408539	387178
जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई						
क घरेलू अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर ड्राफ्ट	109799	110801	118180	299208	361926	362654
(i) घरेलू पूंजीगत प्राप्तियां	130687	106284	145351	246612	367507	362654
(ii) बजटीय घाटा/नकद शेष से निकासी	-20888	4517	-27171	52596	-5581	0
ख विदेशी बचतों पर ड्राफ्ट	36389	11002	12038	13809	46613	24524
	(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)					
I. कुल व्यय	13.6	13.3	13.8	15.5	15.3	13.7
II. केन्द्र सरकार के बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण	2.3	2.0	2.9	2.5	2.4	2.5
(i) केन्द्र सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
(ii) अर्थव्यवस्था के शेष भाग में पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	1.4	1.2	2.0	1.5	1.4	1.6
III. केन्द्र सरकार की सकल बचत	-1.7	-0.8	0.3	-3.2	-3.9	-2.4
IV. अन्तर (II-III)	4.0	2.8	2.6	5.6	6.2	4.9
जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई						
क घरेलू अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर ड्राफ्ट	3.0	2.6	2.4	5.4	5.5	4.6
(i) घरेलू पूंजीगत प्राप्तियां	3.5	2.5	2.9	4.4	5.6	4.6
(ii) बजटीय घाटा/नकद शेष से निकासी	-0.6	0.1	-0.5	0.9	-0.1	0.0
ख विदेशी बचतों पर ड्राफ्ट	1.0	0.3	0.2	0.2	0.7	0.3
	(पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि)					
II. केन्द्र सरकार के बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण ज्ञापन मदें	-8.7	3.7	63.7	-4.8	13.1	25.6
	(करोड़ ₹)					
1. उपभोग व्यय	116305	121609	131396	174345	226987	224027
2. चालू अंतरण	297267	356560	408676	543347	594989	651168
	(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)					
1. उपभोग व्यय	3.1	2.8	2.6	3.1	3.5	2.8
2. चालू अंतरण	8.1	8.3	8.2	9.7	9.1	8.3

स्रोत : वित्त मंत्रालय, केन्द्र सरकार के बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण-विभिन्न अंक।

- टिप्पणी : (i) इस सारणी में सकल पूंजी निर्माण में सकल आधार पर पूंजी निर्माण के लिए दिए गए ऋण शामिल हैं। परिणामस्वरूप घरेलू पूंजीगत प्राप्तियों में केन्द्र सरकार को की गई ऋणों की अदायगियां शामिल हैं।
- (ii) उपभोग व्यय मजदूरी एवं वेतन पर तथा वर्तमान उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाला व्यय है।
- (iii) ब्याज अदायगियां, सब्सिडी, पेंशन आदि चालू अंतरण माने जाते हैं।
- (iv) सकल पूंजी निर्माण और कुल व्यय में लघु बचत संग्रहणों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से के प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।
- (v) आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार केन्द्र सरकार के कुल व्यय के आंकड़े बजट दस्तावेजों में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते। आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण में डी सी यू को अंतरित ब्याज, बट्टे खाते डाले गए ऋण इत्यादि चालू खाते में शामिल नहीं हैं। पूंजी खाते में रेलवे, डाक व दूरसंचार के अपनी निधियों से वित्त पोषित व्यय, आदि को शामिल किया गया है।
- (vi) चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन 2004-05 की राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला पर आधारित है।

सारणी 3.9 : केन्द्र सरकार के वित्त साधन

1	बजट अनुमान 2010-11	अप्रैल-दिसंबर		कॉलम 4 2010-11 (ब.अ.) के % के रूप में	2009-10 की तुलना में % परिवर्तन
		2009-10	2010-11		
		(करोड़ ₹)			
1. राजस्व प्राप्तियां	682,212	389,271	584,268	85.6	50.1
सकल कर राजस्व	746,651	416,094	527,782	70.7	26.8
कर (केन्द्र को निवल)	534,094	307,591	391,148	73.2	27.2
कर-भिन्न	148,118	81,680	193,120	130.4	136.4
2. पूंजी प्राप्तियां	426,537	318,269	202,584	47.5	-36.3
जिसमें से: ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति					
ऋण की वसूली	5,129	3,983	8,591	167.5	115.7
अन्य प्राप्तियां	40,000	4,306	22,744	56.9	428.2
उधार और अन्य देयताएं	381,408	309,980	171,249	44.9	-44.8
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	1,108,749	707,540	786,852	71.0	11.2
4. आयोजना-भिन्न व्यय (क) + (ख)	735,657	497,381	536,898	73.0	7.9
(क) राजस्व लेखा	643,599	460,970	487,692	75.8	5.8
जिसमें से					
व्याज अदायगियां	248,664	130,005	146,304	58.8	12.5
मुख्य सब्सिडियां	108,667	96,740	94,318	86.8	-2.5
पेंशन	42,840	37,465	40,210	93.9	7.3
(ख) पूंजी लेखा	92,058	36,411	49,206	53.5	35.1
5. आयोजना व्यय (i)+(ii)	373,092	210,159	249,954	67.0	18.9
(i) राजस्व लेखा	315,125	179,555	212,885	67.6	18.6
(ii) पूंजी लेखा	57,967	30,604	37,069	63.9	21.1
6. कुल व्यय (4)+(5)=(क) + (ख)	1,108,749	707,540	786,852	71.0	11.2
(क) राजस्व व्यय	958,724	640,525	700,577	73.1	9.4
(ख) पूंजी व्यय	150,025	67,015	86,275	57.5	28.7
7. राजस्व घाटा	276,512	251,254	116,309	42.1	-53.7
8. राजकोषीय घाटा	381,408	309,980	171,249	44.9	-44.8
9. प्राथमिक घाटा	132,744	179,975	24,945	18.8	-86.1

स्रोत: महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।

परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। रेलवे ने अपनी बढ़ती जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ मेगा कार्यशालाओं के स्थापना संबंधी कार्य भी शुरू किया है। रेलवे रेल सेवाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रणालियों का आधुनिकीकरण और अद्यतन भी कर रहा है।

डाक विभाग

3.36 वर्ष 2009-10 में डाकघर की सकल प्राप्तियां ₹6,266.7 करोड़ थीं। इस वर्ष के दौरान सकल और निवल कार्यकरण व्यय क्रमशः ₹13,346.9 करोड़ और ₹ 12,908 करोड़ था, जो ₹ 6,641.

3 करोड़ का घाटा दर्शाता है। 2010-11 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में, सकल प्राप्तियां बढ़कर ₹ 6,955.5 करोड़ हो जाने का बजट अनुमान है तथा सकल और निवल कार्यकरण व्यय क्रमशः ₹ 11,328.8 करोड़ और 10,892.1 करोड़ हो जाने के अनुमान के चलते, घाटा ₹ 3936.6 करोड़ रहने का अनुमान है।

3.37 भारतीय डाक विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है और यह अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश में सभी नागरिकों को किफायती दरों पर अपनी डाक सेवाएं मुहैया कराता है। इसका नेटवर्क में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 23,344 डाकघरों से 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार, 1,54,979 डाकघर हो गए हैं। इन

सारणी 3.10 : वर्ष (2010-11) में केन्द्र सरकार के संचयी वित्त साधनों (अप्रैल-दिसम्बर) की प्रवृत्तियाँ

	बजट अनुमान	अप्रैल	अप्रैल-मई	अप्रैल-जून	अप्रैल-जुलाई	अप्रैल-अगस्त	अप्रैल-सितम्बर	अप्रैल-अक्तूबर	अप्रैल-नवम्बर	अप्रैल-दिसम्बर
1. राजस्व प्राप्तियाँ (करोड़ ₹) बजट अनुमान का प्रतिशत	682212	12979	44657	199810	238524	290799	398234	447625	476716	584268
		1.9	6.5	29.3	35.0	42.6	58.4	65.6	69.9	85.6
2. पूँजीगत प्राप्तियाँ (करोड़ ₹)	426537	54247	102252	42398	94176	156904	139743	169810	213971	202584
3. कुल प्राप्तियाँ (करोड़ ₹) बजट अनुमान का प्रतिशत	1108749	67226	146909	242208	332700	447703	537977	617435	690687	786852
		6.1	13.2	21.8	30.0	40.4	48.5	55.7	62.3	71.0
4. आयोजना-भिन्न व्यय (करोड़ ₹) बजट अनुमान का प्रतिशत	735657	48206	100101	154148	222900	311249	368270	424893	479771	536898
		6.6	13.6	21.0	30.3	42.3	50.1	57.8	65.2	73.0
5. आयोजना व्यय (करोड़ ₹) बजट अनुमान का प्रतिशत	373092	19020	46808	88060	109800	136454	169707	192542	210916	249954
		5.1	12.5	23.6	29.4	36.6	45.5	51.6	56.5	67.0
6. कुल व्यय (करोड़ ₹) बजट अनुमान का प्रतिशत	1108749	67226	146909	242208	332700	447703	537977	617435	690687	786852
		6.1	13.2	21.8	30.0	40.4	48.5	55.7	62.3	71.0
7. राजस्व व्यय (करोड़ ₹) बजट अनुमान का प्रतिशत	958724	63617	125877	210387	288599	391151	473155	542455	616874	700577
		6.6	13.1	21.9	30.1	40.8	49.4	56.6	64.3	73.1
8. राजस्व घाटा (करोड़ ₹) बजट अनुमान का प्रतिशत	276512	50638	81220	10577	50075	100352	74921	94830	140158	116309
		18.3	29.4	3.8	18.1	36.3	27.1	34.3	50.7	42.1
9. राजकोषीय घाटा (करोड़ ₹) बजट अनुमान का प्रतिशत	381408	53993	100907	40196	90915	151425	133252	162336	186522	171249
		14.2	26.5	10.5	23.8	39.7	34.9	42.6	48.9	44.9

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय

कुल डाकघरों में से ग्रामीण क्षेत्रों में 1,39,173 और शहरी क्षेत्रों में 15,797 डाकघर हैं। भारतीय डाक विभाग ने डाक सेवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए उन स्थानों पर फ्रेंचाईजी आऊटलेट शुरू किए हैं जहां विभागीय डाकघर खोलना संभव नहीं है। 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार, 1082 फ्रेंचाईजी आऊटलेट शुरू किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) के लाभार्थियों को डाकघर बचत बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी वितरण की जिम्मेदारी डाक विभाग को दी गई है। अक्तूबर 2010 तक लगभग ₹4.67 करोड़ मनरेगा खाते खोले गए हैं तथा चालू वित्त वर्ष (अक्तूबर 2010 तक) के दौरान मजदूरी के रूप में ₹7113 करोड़ बांटे जा चुके हैं। इस स्कीम के शुरूआत से डाकघरों के माध्यम से मनरेगा लाभार्थियों को मजदूरी के रूप में कुल ₹18,876 करोड़ संचित किए गए हैं।

प्रसारण

3.38 प्रसार भारती, जो एक सरकारी सेवा प्रसारणकर्ता है, ने 2009-10 में कुल ₹2949.4 करोड़ का व्यय किया (इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी प्रभार और स्पेक्ट्रम प्रभार तथा ब्याज एवं मूल्यहास लागत शामिल नहीं है)। 2009-10 में अर्जित किया कुल सकल राजस्व ₹1352.7 करोड़ था तथा निवल राजस्व ₹1176.3 करोड़ आंका गया था। प्रसार भारती ने आक्रमक विपणन नीति अपनाकर और एकल खिड़की सुविधा के माध्यम से विभिन्न कंपनियों की विज्ञापन संबंधी जरूरतें पूरी करके

राजस्व अर्जन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। दूरदर्शन ने राष्ट्रमंडल खेलों (सीडब्ल्यूजी) हेतु मेजबान प्रसारणकर्ता के रूप में सीडब्ल्यूजी का पूरा टीवी कवरेज एचडीटीवी के स्वरूप में प्रस्तुत किया, जो प्रसारण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। अधिकार प्राप्त प्रसारणकर्ता के रूप में दूरदर्शन ने भारतीय दर्शकों के लिए सीडब्ल्यूजी का टीवी कवरेज पारंपरिक तरीके से किया और इसके साथ-साथ उच्च उच्च गुणवत्ता प्राप्त सेवाएं देने के लिए डीडीएचडी नामक एक एचडीटीवी चैनल की शुरूआत की। ऑल इंडिया रेडियो के नेटवर्क का डिजीटलीकरण करना ग्यारहवीं योजना का एक बड़ा कार्यक्षेत्र है। ट्रांसमीटर, स्टूडियो और कनेक्टिविटी की अनुमोदित स्कीम है जिसमें अन्य के अलावा 100 स्थानों पर 98 स्टूडियो के डिजीटलीकरण तथा कनेक्टिविटी और डिजीटल एफएम के अनुकूल 100 बॉट के ट्रांसमीटर लगाए जाने की परिकल्पना की गई है। सरकार ने प्रसार भारती में संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए ब.अ 2010-11 में सीडब्ल्यूजी समेत कुल ₹2050 करोड़ आवंटित किए हैं

राज्य-स्तर की वित्त व्यवस्था

3.39 एफआरबीएमए की अवधि के बाद राज्यों का निष्पादन संयुक्त रूप से प्रभावशाली था जब राजकोषीय घाटा कम होकर 2005-06 में स.घ.उ. के 2.4 प्रतिशत पर आ गया तथा आगे और कम होकर 2007-08 में 1.5 प्रतिशत रह गया। 2009-10

64 आर्थिक समीक्षा 2010-11

(संअ) का अपवाद छोड़कर राजकोषीय घाटे का स्तर स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के स्तर से नीचे बना रहा था। 2010-11 (बअ) में यह स.घ.उ. के 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है (सारणी 3.11 और चित्र 3.11) एक अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि राजस्व खाते पर अधिशेष 2007-08 और 2008-09 की तीन वर्ष की अवधि में दर्ज किया गया है। राजस्व प्राप्तियों में 2007-08 और 2008-09 में क्रमशः 17.6 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। राज्यों (केन्द्र के भी) के भारी भरकम राजस्व और कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ राजस्व में संतुलित वृद्धि से इस संबंध में मदद मिली है। यद्यपि, इन संकेतकों के संबंध में राज्यों में अच्छी खासी घट-बढ़ है।

राज्य-स्तर पर सुधार

3.40 2008-09 और 2009-10 की अपवादात्मक स्थितियों के मद्देनजर राज्यों की राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में बाधा आयी थी। राज्य अपने राजकोषीय सुधार के पथ पर 2011-12 तक आने में समर्थ होंगे, जहां 2010-11 में समायोजन वर्ष के तौर पर अनुमेय होगा। केन्द्र सरकार के प्रोत्साहन पैकेजों के साथ-साथ पृथक-पृथक राज्यों द्वारा घोषित किए गए प्रोत्साहनों सहित तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अंतरणों के मध्यावधि में राज्यों की वित्तीय स्थिति के निहितार्थ हैं। 2010-15 की अवधि के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर इस समय क्रियान्वयन हो रहा है। इन सिफारिशों में मौजूदा तथा संभावित बृहत् आर्थिक और राजकोषीय परिदृश्य पर विचार किया गया ताकि केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकायों के लिए राजकोषीय स्थिरता और पर्याप्त संसाधन की उपलब्धता मुहैया की जा सके। करों के अधिक अंतरण और उसकी पारस्परिक हिस्सेदारी के साथ संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत आयोजना-भिन्न अनुदानों जिनमें प्रारंभिक शिक्षा हेतु अनुदान, परिणाम और पर्यावरण से संबंधित अनुदान, रखरखाव अनुदान जैसे विशेष अनुदान शामिल हैं, और राज्य विशिष्ट अनुदानों के अधिक स्तर से राज्यों का संयुक्त घाटा शीघ्र ही लक्षित स्तर पर आने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे के लिए निश्चित लक्ष्य पर आधारित तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर 2010-11 के लिए प्रत्येक राज्य के लिए उधार की उच्चतम सीमा निश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्त आयोग ने बुनियादी अनुदान और गत वर्ष के विभाज्य पूल के प्रतिशतांक पर आधारित निष्पादन अनुदान के माध्यम से स्थानीय निकायों की वित्त व्यवस्था के लिए आधार भी मुहैया कराया है। तेरहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि में स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुमानित कुल अनुदान ₹87,519 करोड़ है।

3.41 इस वर्ष के बजट में, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अपनाने की दिशा में भी उपाय किए गए। इन उपायों में ये

शामिल थे: केन्द्रीय उत्पाद (वस्तुएं) और सेवा कर (सेवाएं) के बीच दरों का 10 प्रतिशत पर एकीकरण; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कुछ छूटों को हटाया जाना; आठ नई सेवाओं को शामिल करके सेवा कर आधार को व्यापक बनाया जाना और कुछ मौजूदा सेवाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ाना; अल्कोहल युक्त दवाओं और प्रसाधन सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना। (दवाओं एवं प्रसाधन सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क एक ऐसा कर है जो जीएसटी में शामिल किया जाएगा; राज्य वाणिज्यिक कर विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिए मिशन मोड परियोजना का अनुमोदन।

3.42 हालांकि व्यापक जीएसटी अपनाने की दिशा में काफी प्रगति की गई है, ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती कि यह अप्रैल 2011 के निर्दिष्ट समय पर लागू किया जा सकेगा। इसकी वजह यह है कि इस संबंध में संवैधानिक संशोधन के लिए कानून बनाने हेतु केन्द्र और राज्यों के बीच जरूरी विचारों की समाभिरूपता अभी कायम की जानी बाकी है। इस बीच, जीएसटी के कारगर कार्यान्वयन के लिए आईटी संरचना, कारोबार प्रक्रियाएं और मसौदा कानून तैयार करने में लगे कार्यदल अपना काम करने में लगे हैं। यूआईडीएआई के अध्यक्ष डॉ. नंदन निलेकनी की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समूह ऐसे विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के सृजन के तौर-तरीके तय करने में लगा है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए एक साझा पोर्टल स्थापित करने की बात कही गई है जिसके ज़रिए करदाता दो कर-प्रशासनों के साथ कार्रवाई कर सकेगा। राज्य वैट (मूल्यवर्धित कर) में आईटी अवसंरचना भी सृजित करने एवं उसे मजबूत बनाने के कार्य जारी हैं ताकि उनके लिए जीएसटी को अपनाना आसान हो।

समेकित सामान्य सरकार

3.43 स्थानीय निकायों की अनुदानों पर निर्भरता और आंकड़ों की सीमित उपलब्धता के चलते, समेकित सामान्य सरकार के वित्त साधन अन्तः सरकारी लेन-देनों को घटाने की समुचित प्रक्रिया के बाद केन्द्र और संयुक्त राज्य वित्त साधनों की सकल राशि के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह सरकार के वित्त प्रचालनों का बृहत् आर्थिक प्रभाव समेकित सामान्य सरकार के वित्त साधनों को आकलित करके तय किया जाता है। जैसा कि केन्द्र और राज्यों के साथ अलग-अलग होता है, सामूहिक तौर पर भी राजस्व में वृद्धि और व्यय में अपेक्षाकृत कम वृद्धि ने एफआरबीएम-पश्च अवधि में 2007-08 तक राजकोषीय समेकन के दौर में मदद की। 2007-08 में, समेकित सामान्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा नकद आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत के स्तर पर आंका गया था। (सारणी 3.12 और चित्र 3.12) और राजस्व घाटा लगभग शून्य था। 2008-09 और 2009-10 में हुए राजकोषीय विस्तार के बाद

सारणी 3.11 : राज्य सरकारों की प्राप्तियां और संवितरण*						
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
	(करोड़ ₹)					
I. कुल प्राप्तियां (क + ख)	595,628	673,605	765,735	886,875	1,049,437	1,149,031
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	431,021	530,556	623,748	690,581	802,708	906,495
1. कर प्राप्तियां	306,332	372,841	437,948	481,854	529,740	624,380
जिसमें राज्य का अपना कर राजस्व	212,307	252,548	286,546	321,351	364,997	426,014
2. कर-भिन्न प्राप्तियां जिसमें	124,690	157,714	185,799	208,727	272,968	282,114
ब्याज प्राप्तियां	9,380	11,825	12,637	16,594	16,782	16,331
ख. पूंजी प्राप्तियां	164,607	143,049	141,987	196,294	246,728	242,536
जिसमें ऋणों और अग्रिमों की वसूली	8,904	7,579	7,770	11,068	7,960	4,208
II. कुल संवितरण (क + ख + ग)	561,682	657,280	752,324	877,747	1,073,800	1,167,404
(क) राजस्व	438,034	505,699	580,805	678,856	849,571	932,683
(ख) पूंजी	109,224	137,793	157,258	183,013	207,073	220,022
(ग) ऋण और अग्रिम	14,424	13,789	14,261	15,879	17,155	14,699
III. राजस्व घाटा	7,013	-24,857	-42,943	-11,725	46,863	26,189
IV. सकल राजकोषीय घाटा	90,084	77,508	75,455	134,245	214,137	198,097
	(सं.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)					
I. कुल प्राप्तियां (क + ख)	16.1	15.7	15.4	15.9	16.0	14.6
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	11.7	12.4	12.5	12.4	12.3	11.5
1. कर प्राप्तियां	8.3	8.7	8.8	8.6	8.1	7.9
जिसमें राज्य का अपना कर राजस्व	5.7	5.9	5.7	5.8	5.6	5.4
2. कर-भिन्न प्राप्तियां जिसमें	3.4	3.7	3.7	3.7	4.2	3.6
ब्याज प्राप्तियां	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
ख. पूंजी प्राप्तियां	4.5	3.3	2.8	3.5	3.8	3.1
जिसमें ऋणों और अग्रिमों की वसूली	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
II. कुल संवितरण (क + ख + ग)	15.2	15.3	15.1	15.7	16.4	14.8
(क) राजस्व	11.9	11.8	11.6	12.2	13.0	11.8
(ख) पूंजी	3.0	3.2	3.2	3.3	3.2	2.8
(ग) ऋण और अग्रिम	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
III. राजस्व घाटा	0.2	-0.6	-0.9	-0.2	0.7	0.3
IV. सकल राजकोषीय घाटा	2.4	1.8	1.5	2.4	3.3	2.5

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक


*: आंकड़े 2008-09 में 27 राज्य सरकारों के संबंध में हैं। सं.अ. संशोधित अनुमान

टिप्पणी: (1) नकारात्मक (-) चिह्न घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

(2) चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

(3) पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखाएं शामिल हैं।


(4) पूंजी संवितरण लोक लेखाओं को छोड़कर हैं।



66 आर्थिक समीक्षा 2010-11

राजस्व और राजकोषीय घाटा दोनों के ही 2010-11 (बं. अ.) में तेजी से कमी हो जाने का अनुमान है। इसलिए कुल

अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं उज्ज्वल दिखाई देती हैं जिसमें राजकोषीय समेकन भी जारी रहेगा।



सारणी 3.12 : समेकित सामान्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
(करोड़ ₹)						
I. कुल प्राप्तियां (क + ख)	1,014,689	1,125,252	1,329,654	1,604,238	1,885,017	2,052,774
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	707,054	877,075	1,061,892	1,112,877	1,250,511	1,446,332
1. कर प्राप्तियां	576,596	724,023	877,496	925,173	994,843	1,158,475
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	130,458	153,052	184,396	187,704	255,668	287,857
जिसमें						
ब्याज प्राप्तियां	18,735	21,744	22,584	25,462	24,774	25,120
ख. पूंजी प्राप्तियां	307,635	248,177	267,762	491,361	634,506	606,442
जिसमें						
(क) विनिवेश प्राप्तियां	1,590	2,440	45,750	832	26,319	43,155
(ख) ऋणों और अग्रिमों की वसूली	11,651	-773	4,682	8,935	9,505	5,520
II कुल संवितरण (क + ख + ग)	959,855	1,109,174	1,316,246	1,595,110	1,909,380	2,071,147
(क) राजस्व	806,366	932,441	1,071,518	1,354,691	1,626,434	1,749,031
(ख) पूंजी	132,585	157,316	225,803	217,476	257,787	296,787
(ग) ऋण और अग्रिम	20,904	19,417	18,925	22,943	25,159	25,329
III. राजस्व घाटा	99,312	55,366	9,626	241,814	375,923	302,699
IV. सकल राजकोषीय घाटा	239,560	230,432	203,922	472,466	623,045	576,140
(स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)						
I. कुल प्राप्तियां (क + ख)	27.5	26.2	26.7	28.7	28.8	26.1
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	19.1	20.4	21.3	19.9	19.1	18.4
1. कर प्राप्तियां	15.6	16.9	17.6	16.6	15.2	14.7
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	3.5	3.6	3.7	3.4	3.9	3.7
जिसमें						
ब्याज प्राप्तियां	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
ख. पूंजी प्राप्तियां	8.3	5.8	5.4	8.8	9.7	7.7
जिसमें						
(क) विनिवेश आय	0.0	0.1	0.9	0.0	0.4	0.5
(ख) ऋणों और अग्रिमों की वसूली	0.3	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1
II कुल संवितरण (क + ख + ग)	26.0	25.8	26.4	28.6	29.1	26.3
(क) राजस्व	21.8	21.7	21.5	24.3	24.8	22.2
(ख) पूंजी	3.6	3.7	4.5	3.9	3.9	3.8
(ग) ऋण और अग्रिम	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
III. राजस्व घाटा	2.7	1.3	0.2	4.3	5.7	3.8
IV. सकल राजकोषीय घाटा	6.5	5.4	4.1	8.5	9.5	7.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी : चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

राजकोषीय समेकन का स्वरूप

3.44 वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव ने आर्थिक झटकों का सामना करने में राजकोषीय नीतियों के महत्व को दुनिया के सामने ला दिया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नाममात्र की गुंजाइश और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में संप्रेषण अंतरालों के चलते विश्व भर में राजकोषीय नीतियां वरीय नीतिगत साधन मानी जाती हैं। इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय संस्थागत अनुसंधान के अनुसार, विकसित अर्थव्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रोत्साहन देने में सफल रहीं क्योंकि उन्हें स्वतः चालित स्थिरताकारी संचालकों की मदद प्राप्त थी जबकि भारत सहित उभरते बाजारों में बहुत कम विवेकाधीन आर्थिक प्रोत्साहन होने के चलते विशाल राजकोषीय विस्तार किया

गया। एफआरबीएमए-पश्च अवधि (2004-05 से 2007-08) में राजकोषीय समेकन के दौर में, पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश सृजित हुई जिसने भारत में हुए व्यापक विस्तार को संभव बनाया। इसलिए भारत में राजकोषीय घाटों के स्वरूप का उनके संरचनागत एवं चक्रीय घटकों में वर्गीकृत करके विश्लेषित करना उपयुक्त होगा (बाक्स 3.3)।

संभावनाएं/दृष्टिकोण

3.45 2010-11 (ब.अ.) में राज्य सरकारों के संयुक्त घाटे में उल्लेखनीय स्तर पर परिकल्पित कटौती और चालू वित्त वर्ष में

बाक्स 3.3 : राजकोषीय घाटे का संरचनागत और चक्रीय घटकों में वर्गीकरण

सरकारी बजट का संतुलन मूलतः चक्रीय (अस्थायी) और संरचनागत (स्थायी) दोनों प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है जिसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में परिवर्तन या तो उत्पादन में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के कारण अथवा संरचनागत कारकों की प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। उत्पादन में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों का राजकोषीय घाटे पर अस्थायी प्रभाव होता है जबकि संरचनागत कारकों का अधिक स्थायी प्रभाव होता है। संरचनागत घाटा तब होता है जब कोई देश ऐसे समय में घाटा होता है जब उस देश की अर्थव्यवस्था अपने संपूर्ण रोजगार स्तर पर कार्य कर रही हो। दूसरी ओर, चक्रीय घाटा तब पैदा होता है जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य न कर रही हो, उदाहरण के लिए, यदि कोई अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही हो। संरचनागत घाटे का अर्थ है कि घाटा अवश्य होगा चाहे अर्थव्यवस्था-मंदी या उत्कर्ष में कितना ही अच्छा निष्पादन क्यों न कर रही हो। जब अर्थव्यवस्था मजबूती से कार्य कर रही हो, अधिक नौकरियां, अधिक व्यय इत्यादि के कारण राजस्व सृजन अधिक होगा लेकिन संरचनागत घाटे के चलते, अर्थव्यवस्था की अच्छी और मजबूत स्थिति अप्रासंगिक हो जाती है-घाटा तो हर हाल में होगा ही।

संरचनागत घाटे को आगे तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है अर्थात् (क) राजकोषीय बोझ, (ख) विवेकाधीन राजकोषीय नीति संबंधी कार्रवाई और (ग) आधार वर्ष संबंधी संतुलन ताकि संरचनागत घाटे के निर्धारकों के बारे में अधिक अंतर्दृष्टि हासिल की जा सके। इन तीन घटकों में पहले दो राजकोषीय रूख को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

राजकोषीय बोझ

संरचनागत घाटे के घटकों में राजकोषीय बोझ महत्वपूर्ण है और इसे सामान्यतः समय के साथ-साथ सांकेतिक आय में वृद्धि या तो मुद्रास्फीति या वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि के उच्च स्तरों के कारण के परिणामस्वरूप प्रगामी आय कर योजना में औसत कर-दरों में वृद्धि के रूप में देखा जाता है। यह देखा गया है कि राजकोषीय बोझ केन्द्र सरकारी शेष के संरचनागत घाटे का एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

विवेकाधीन राजकोषीय नीति संबंधी कार्रवाई

दूसरी ओर दूसरे घटक अर्थात् विवेकाधीन राजकोषीय नीति संबंधी कार्रवाई, 2007-08 में अपेक्षाकृत कमजोर पड़े रहने के बाद 2008-09 और 2009-10 में कुछ तेजी दिखाई है, जिसकी वजह अर्थव्यवस्था में छाई मंदी के कारण हुए राजस्व घाटों को और आर्थिक विकास संपोषित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए उच्च व्यय के साथ-साथ ड्यूटी संबंधी कटौतियों को कहा जा सकता है।

घाटे के परंपरागत संकेतक सामान्यतः इन दो प्रभावों के बीच अंतर नहीं करते और इसलिए अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय प्रचालनों के समग्र प्रभाव का सही आकलन करने और व्यक्त करने में असफल रहते हैं। बजट संतुलन का संरचनागत और चक्रीय घटकों में वर्गीकरण सामान्यतः दो विधियों का प्रयोग करके किया जाता है नामशः आईएमएफ और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की विधियां। इस विषय पर किए गए पूर्ववर्ती अनुसंधान जो अधिकांशतः एफआरबीएमए पूर्व अवधि में किए गए थे, ने भारत के राजकोषीय घाटों के संघटन में विशाल संरचनागत अनम्यता की उपस्थिति और बहुत छोटा चक्रीय घटक दर्शाया था। ओईसीडी विधि का प्रयोग करते हुए एफआरबीएमए-पश्च अवधि में इस विषय पर करवाए गए अध्ययन के आरंभिक निष्कर्षों ने भी सरकार के बजटीय संतुलन में संरचनागत घटक का प्रभुत्व जारी रहने का संकेत दिया है; यह अभिगत केंद्र, राज्यों के संयुक्त और समेकित सामान्य सरकार के प्राथमिक घाटों के वर्गीकरण के संबंध में भी लागू होता है।


(जारी....)

बाक्स 3.3 जारी....)

जीएफडी के संरचनागत और चक्रीय घटकों के अनुमान

(स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	संरचनागत घाटा	चक्रीय घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	वर्ष	संरचनागत घाटा	चक्रीय घाटा	सकल राजकोषीय घाटा
1990-91	8.0	-0.4	7.6	2000-01	5.4	0.1	5.5
1991-92	5.7	-0.3	5.4	2001-02	6.1	-0.1	6.0
1992-93	5.4	-0.2	5.2	2002-03	6.1	-0.4	5.7
1993-94	6.9	-0.1	6.8	2003-04	4.7	-0.4	4.3
1994-95	5.4	0.1	5.5	2004-05	4.2	-0.3	3.9
1995-96	4.6	0.3	4.9	2005-06	4.2	-0.3	4.0
1996-97	4.3	0.4	4.7	2006-07	3.4	-0.1	3.3
1997-98	5.3	0.3	5.7	2007-08	2.5	0.1	2.5
1998-99	5.9	0.4	6.3	2008-09	6.0	0.0	6.0
1999-2000	4.9	0.4	5.2	2009-10	6.1	0.2	6.3

सकल राजकोषीय घाटे का संरचनात्मक और चक्रीय घटकों में वर्गीकरण
(स.घ.उ. के प्रतिशत रूप में)

केन्द्र सरकार के वित्त साधनों के संबंध में की गई प्रगति के चलते केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर तथा समेकित सामान्य सरकार के स्तर पर भी राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया दो वर्ष के सप्रयोजन विस्तार के बाद सचमुच पुनः आरंभ हो गई है। मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण के साथ-साथ सरकारी ऋण रिपोर्ट 2010 में निर्धारित रूपरेखा को देखते हुए इस प्रक्रिया को मध्यावधिक परिप्रेक्ष्य में और उससे भी आगे तक जारी रखने की संभावनाएं उज्ज्वल हैं। हालांकि व्युत्पन्न संकेतक का स्वरूप होने के नाते घाटा संबंधी संकेतकों के संदर्भ में यह रूपरेखा अपने आप में ही महत्व रखती है, फिर भी उस प्रक्रिया पर नज़र डालना समीचीन होगा जिसके जरिए यह कटौती हासिल की जानी है। सरकारी ऋण रिपोर्ट 2010 में यह कहा गया है कि 2010-11 (ब.अ.) और तेरहवें वित्त आयोग के पंचाट के अंतिम वर्ष 2014-15 के बीच स.घ.उ. और कुल व्यय के अनुपात में 2.5 प्रतिशतांक की कमी

आएगी और वह 2014-15 में स.घ.उ. के 13.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगा और साथ ही साथ स.घ.उ. के प्रति कर के अनुपात में 1.4 प्रतिशतांक की वृद्धि होगी और वह 2014-15 में स.घ.उ. के 12.2 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगा। अर्थव्यवस्था में हो रहे पुनरुत्थान के संकट-पूर्ण स्तरों पर वापस पहुंचने के चलते और इस तथ्य को देखते हुए कि यह संकट से पहले उन्हीं स्तरों पर थी, कर-राजस्व में वृद्धि का यह अनुमानित स्तर हासिल करना संभव प्रतीत होता है। इसलिए घाटे के अनुमानित स्तरों को हासिल करने के लिए व्यय संबंधी सुधारों को स्थिरता देना जरूरी है। आर्थिक राजसहायता के क्षेत्र में घोषित सुधारों जिनमें से कुछ कार्यान्वित भी किए जा चुके हैं, के साथ एक शुरुआत की जा चुकी है। आने वाले समय में इन सुधारों को गहन बनाने से राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को सम्पोषित किया जा सकेगा।